राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 14

मंगलवार,

22 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी। (व्यवधान). श्री बाबूलाल खराड़ी।

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र में जनजातियों के कल्याण हेतु व्यय राशि

256. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में गत दो वर्षों में किस-किस योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राजस्थान की विधान सभा में इन लोगों ने ...(व्यवधान) कर रखी है, केवल अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है इन लोगों ने। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह राजस्थान के इतिहास के लिये कोई अच्छी परम्परा नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (भारी व्यवधान) अगर माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, पहले माफी तो मंगाओ, फिर कार्यवाही शुरू करो। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर यह छोड़ दोगे तो माननीय सदस्यों का क्या होगा?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अगर प्रतिपक्ष की नेता माफी नहीं मांगेंगी तब तक सदन की कार्यवाही... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिस तरह से अभद्रता की, जिस तरह की ये लोग भाषा बोलते हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पहले माफी तो मंगाओ। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जिस तरह की स्थिति बनी, जिस तरह से सदन में तीन दिन से माहौल खराब हुआ, यह सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है। (भारी व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जिस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, ये सदन को कठपुतली की तरह खुद की मर्जी से चलाना चाहते हैं। खुद अपना बयान देते हैं। (व्यवधान) मुख्य मंत्री का लगातार चार बार सार्वजनिक तरीके से षड्यंत्र करके ये लोग मुख्य मंत्री का वक्तव्य नहीं होने देना चाहते हैं। (भारी व्यवधान) इस तरह का षड्यंत्रकारी विपक्ष राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आया है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): विपक्ष की नेता बनी हैं, पहले भी रही हैं और पहले भी मुख्य मंत्रीजी को नहीं बोलने दिया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपको खींवाराम की सौगन्ध है कोई बोले तो... (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): तब भी नहीं बोल पाये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन चालाकी से ये अपनी बात कह दें और सदन के नेता का बात कहने का जब मौका आया तो उनको बात नहीं कहने दी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खींवाराम की कसम है आपको। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो प्रतिपक्ष ने कर रखा है, जो उनके रणनीतिकारों ने कर रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही शर्मनाक पहलू है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खींवाराम की सौगन्ध है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरह से इन्होंने कठपुतली बनाने की कोशिश की है, ये समझते हैं कि राजस्थान की 6 करोड़ जनता हमारी जेब में है। (व्यवधान) हम जिसको चाहे

(डा. रघु शर्मा)

उसको हरा दें, जब चाहे सरकार बना दें ...(व्यवधान) यह लोकतंत्र को कठपुतली की तरह नचाने की इनकी दुस्साहसपूर्वक कार्यवाही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लोगों को बिना शर्त, जो भी इन्होंने किया है, इस सदन के अन्दर माफी मांगने में किस बात का हर्ज है। कौन से बड़े आदमी हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खींवाराम की सौगन्ध है आपको, खींवाराम की। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो गलतियां इन्होंने की हैं सदन के अन्दर, इन्होंने जो माहौल बनाया है सदन के अन्दर, ये एक के बाद एक बोलने के लिये खड़े होते हैं, ये बोलने नहीं देते और इनके प्रतिपक्ष के जो सचेतक हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मांगो पहले। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सरदार हैं। वे और इनकी जो चार-पांच लोगों की मंडली है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये मंत्री अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं... (व्यवधान) अगर नहीं मानते तो खींवाराम को बुलाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लोग कृपया विराजें, प्रश्न काल चलने दें। (व्यवधान) कृपया विराजें, प्रश्न काल चलने दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये जो अपने आपको अनुभवी बताते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं...(व्यवधान) जनता भी देखती है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तारानगर के माननीय सदस्य, डीग के माननीय सदस्य और जो इनके साथी हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्री के लिये खींवाराम को बुलाना पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक +++ बनी हुई है, जो राजस्थान विधान सभा को चलाने नहीं देना चाहती, सदन के हमारे नेता का भाषण नहीं होने देना चाहती। (व्यवधान) यह शर्मनाक पहलू है कि अपनी बात कहते हो, आपकी बात हम शालीनतापूर्वक सुनते हैं, जब सदन के नेता को षड्यंत्रपूर्वक आप लगातार चार बार नहीं बोलने दोगे तो यह तो लोकतंत्र के ऊपर तमाचा लगाने की कोशिश है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कितनी निकम्मी, कितनी नालायक...(व्यवधान) हल्ला मचाते रहो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): डेमोक्रेसी के अन्दर परम्पराओं में आपकी कितनी आस्था है, यह इस बात का द्योतक है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.04 बजे 12.04 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(12.04 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, पहले सदन को आर्डर में लाइये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: (1) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राज्य में विभिन्न शहरों में मिल रहे नकली नोटों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की यहां पर चर्चा हुई है, उसके बाद जिस तरह इन्होंने बयान सहित अपने आपको पलटा है...(व्यवधान)

(सदन में भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: (2) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से सवाई माधोपुर के सूरवाल कस्बे में थानाधिकारी को जिन्दा जलाये जाने एवं राजेश मीणा की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, ये चार-चार बार माननीय मुख्य मंत्रीजी को बोलने नहीं दें, इनका इस तरह का जो रवैया है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। माननीय सदस्यों को आज गृह विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये भगवान में आस्था रखते हैं तो मन्दिर पर चढ़ जाओ, मन्दिर पर चढ़कर कह दें। अगर आपने नहीं कहा पूरे कांग्रेस विधायक दल और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के लिए, उनको देख लेने की धमकी अगर नहीं दी है, अगर आप सच्चे हैं तो आप मन्दिर पर चढ़ जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (3) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय अन्य राज्यों से कम मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...(व्यवधान) बार-बार धमकियां माननीय सदस्य को दे रहे हैं, यह लोकतंत्र का तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों को धमकी मिल रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (4) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर के बी पी एल परिवारों को दिये जाने वाले केन्द्र सरकार के सहयोग से निर्मित मकानों के आवेदनों में हो रही धांधलियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कसम खा लो भगवान की, अपने पुत्र की कसम खाकर कह दो कि आपने नहीं कहा है। (व्यवधान)

(सदन में भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: (5) श्री शंकर सिंह रावत एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से किशनगढ़ से ब्यावर जाने वाली सड़क पर 6 लेन का गोल राउण्ड बनाने में आने वाले पक्के निर्माण कार्यों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(6) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर में अन्त्योदय और बी पी एल परिवारों को आबंटित किये जाने वाले गेहूं की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

माननीय सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है। अतः इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...हम मान लेंगे। सरेआम बीस-पच्चीस विधायकों के बीच में कोई बात कहते हैं, मंत्रीमण्डल के लोगों को भड़काते हैं और आप हमसे उम्मीद करते हैं! (व्यवधान) षड्यंत्र रचने की कोशिश होती है। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति के लिए इतना शर्मनाक पहलू इन्होंने बना दिया है और यह इस सदन की गरिमा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (7) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी स्टेनो प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(8) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से धौलपुर पत्थर पर डबल रायल्टी वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से नगर निगम जोधपुर द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं किये जाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(10) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सरकार द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री सुखराम, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ... और इस सदन की मर्यादा के लिए... (व्यवधान) हमेशा इन लोगों का यह दम्भ रहता है, जो ये कहते हैं, क्या वही चलेगा? आप इस सदन को अंगुली और इशारे पर चला नहीं सकते। (व्यवधान) इन्होंने इनके जमाने में राजस्थान को लूटा है। (व्यवधान) ये सदन नहीं चलाना चाहते। यह +++ बना हुआ है। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माफी मांगो, माफी मांगो। (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आप विराजिए। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे 13.07 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(13.07 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: होली की शुभकामनाएं आपको। होली की शुभकामनाएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, बजट पर जब हमारे सदन के नेता रिप्लाई देने के लिए खड़े हुए और प्रतिपक्ष ने जिस तरह से सदन के नेता को नहीं बोलने दिया, तीन-तीन बार सदन स्थगित हुआ और उनको बोलने नहीं दिया। पहला मौका नहीं है, पहले भी तीन बार प्रतिपक्ष ने इसी तरह से, अभी जो वर्तमान में प्रतिपक्ष की नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको नहीं बोलने दिया, फिर उन्होंने नहीं बोलने दिया और जिस तरह से धमकी दी जा रही है सभी माननीय सदस्यों को कि हम देख लेंगे ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष की नेता जिस तरह का व्यवहार इस सदन के अन्दर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ ही नहीं, एक सरकारी कर्मचारी को ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इस तरह से सदन नहीं चल सकता। हमारे सदन के नेता के लिए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता ने जो व्यवहार किया है ...(व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन से माफी मांगें। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप प्रताड़ित करिये। (व्यवधान) इस प्रकार की परम्परा डाली है इन्होंने पहली बार ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, इस तरह का व्यवहार प्रतिपक्ष की नेता ...(व्यवधान) सत्ता पक्ष के नेता को बजट पर एक बार नहीं, तीन-तीन बार नहीं बोलने देने का सबसे बड़ा कारण हठधर्मिता ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता के रूप में ...(भारी व्यवधान) जो प्रक्रिया है, वह कर्मचारी को धमकी ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हमारे जो कर्मचारी हैं विधान सभा के, उनको भी धमकाया गया। (व्यवधान) यह, सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनका आचरण बिलकुल उचित नहीं है, यह बिलकुल अनुचित है। (व्यवधान) जिस तरह से सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, उसी तरह से प्रतिपक्ष की भी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें, सदन की कार्यवाही चलने दें कृपया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) जिस तरह से प्रतिपक्ष की नेता ने आते ही हमारे सदन के नेता को नहीं बोलने देने के लिए एक रणनीति के तहत ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मंगाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: स्थगन प्रस्ताव पर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रहा है ...(व्यवधान) सदन चलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (व्यवधान) श्री सुखराम। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बर्दाश्त नहीं करें। (व्यवधान) सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की नेता आकर के सदन के अन्दर क्षमा याचना करें ...(व्यवधान) तभी सदन व्यवस्थित चल पाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मांगें। माफी मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, सभापति महोदय। (व्यवधान) हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान) मैं अपनी बात रखना चाहता हूं सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) आग में घी डालने का काम किया है। (व्यवधान) तो माननीय प्रतिपक्ष की नेता ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम पुकारा है, सभापति महोदय, आपने। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, सभापति महोदय। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सभापति महोदय, सदन के नेता को नहीं बोलने दिया गया। (व्यवधान) माफी मंगवाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे अवसर दीजिए, सभापति महोदय। (व्यवधान) हाउस को आर्डर में लाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ को बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: ये सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से एन.आर.एच.एम. के तहत संविदा पर नेत्र सहायकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।
2. श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में ए डी जे कोर्ट की स्थापना करने के संबंध में।
3. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर से कठूमर (अलवर) में गये ग्रामों का रेकार्ड विद्युत विभाग द्वारा अलवर जिले के अधिकारियों को सौंपे जाने के संबंध में।
4. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम पंचायत छापुड़ाखुर्द में महानरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।
5. श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की पेरिफेरी में आने वाली ग्राम पंचायतों के निवासियों को बापी पट्टे देने के संबंध में।
6. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत भीम पुलिस, भू-माफियाओं एवं तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से चरागाह एवं बिलानाम भूमि को बेचने के संबंध में।
7. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्रामों की अवाप्त की जा रही भूमि के मुआवजे को तर्कसंगत बनाने के संबंध में।
8. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में आपरेशन परकोटे के दौरान हटाये गये छोटे फुटकर व्यापारियों के पुनर्वास किये जाने के संबंध में।
9. सुश्री सिद्धि कुमारी, सदस्या की ओर से बीकानेर के पी.बी.एम. चिकित्सालय से हार्मेनिक स्केल्पर मशीन की चोरी के संबंध में।

(श्री सभापति)

10. श्री कल्याण सिंह चौहान, सदस्य की ओर से नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा मंदिर के विकास कार्यों पर व्यय की जा रही राशि के दुरुपयोग की जांच कराने के संबंध में।

11. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से रसद विभाग के आदेश द्वारा बी पी एल एवं अन्त्योदय परिवारों को दी जाने वाली डायरी की छपाई का शुल्क वसूले जाने के संबंध में।

12. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्री प्रदीप कुमार सिंह।

श्री बाबूलाल बैरवा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ।

श्री हरिसिंह रावत ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जो बजट पेश किया गया (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप सदन को गुमराह कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री मोहनलाल गुप्ता।

सुश्री सिद्धि कुमारी।

श्री कल्याण सिंह चौहान ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, गृह मंत्री से माफी मंगवाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मानसिंह।

श्री अमराराम। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पुलिस पिट रही है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माहौल बने कांग्रेस के पक्ष में ...(व्यवधान) आज बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है ।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, सदन को चलने नहीं देना चाहते। (व्यवधान) हम अपनी बात को रखना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्री से माफी मंगवाओ। (व्यवधान) एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर कैसे चढ़े? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान) एक तरफ राजस्थान की जनता ...(व्यवधान) त्राहि-त्राहि मची हुई है, दूसरी तरफ ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्री से माफी मंगवाओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एयरपोर्ट पर कैसे चढ़े? (व्यवधान) कहां देकर आए सप्लाई? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाए रखें। (व्यवधान) आज दिनांक 22.03.2011 को 14 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयी हैं जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री शंकरसिंह रावत,

(2) श्री ज्ञानचन्द पारख,

(3) श्री गुलाबचन्द कटारिया, व

(4) श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: लगातार, सभापति महोदय, सदन में अवरोध पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान) सत्ताधारी दल को जनता से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, मेरी पानी की पर्ची लगी है। (व्यवधान) सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान) एक तरफ कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, बहुत भयंकर समस्या है ...(व्यवधान) पर्ची निकली है, पानी की भयंकर समस्या है। (व्यवधान) यह सदन को चलने नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान की जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्री से माफी मंगवाओ। सदन सुचारु रूप से चले ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, पिछले तीन-चार दिन से सदन में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि/82 दिनांक 23.12.2010, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 विरचित किये गये हैं ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनियम-83 दिनांक 31.1.2011, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाता (ओं.) की नियुक्ति) विनियम, 2011 विरचित किये गये हैं।

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) छह करोड़ जनता का गला घोंट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

उद्योग विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.14(5)उद्योग/1/2010 दिनांक 25.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बर्दाश्त नहीं करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान) तीन वर्ष बाद आकर के इन्होंने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है ...(व्यवधान) मैं देख लूंगी ...(व्यवधान) विधान सभा के अन्दर ...(व्यवधान)... धमकाना ...(व्यवधान) ऐसे-ऐसे शब्द कहे, उनकी सीमाएं हैं ...(व्यवधान) उनके लिए नहीं बोल सकते लेकिन जो आचरण किया जा रहा है, यह आचरण कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। (व्यवधान) इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक सदन के अन्दर ...(व्यवधान) वातावरण तीन-चार दिन से जो किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रतिपक्ष की नेता आकर के क्षमा याचना करें ...(व्यवधान) तभी यह सदन चल पाएगा ...(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति (वर्ष 2010-11) का प्रतिवेदन (संख्या 19 व 20)

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-11 समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1- जयपुर स्थित विभिन्न थानों में स्थापित महिला डेस्क के आकस्मिक निरीक्षण से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-11 का 19वां प्रतिवेदन ; एवं

2- बाल भारती विशिष्ट मॉन्टेसरी स्कूल, गंगाशहर रोड, बीकानेर में प्रशासक नियुक्त करने तथा निवासी कोकापुर, पुलिस थाना-सागवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अपराधियों से सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-11 का 20वां प्रतिवेदन ।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

कच्ची बस्ती घड़साना-रावला को ग्राम पंचायत को दिया जाना

I- कच्ची बस्ती घड़साना-रावला को मण्डी विकास समिति, बीकानेर से लेकर ग्राम पंचायत को देने बाबत् ;

रावला व नाहरावाली को उप-तहसील बनाया जाना

II- रावला व नाहरावाली को उप-तहसील बनाने बाबत् ; एवं

घड़साना-नाहरावाली में नवीन बालिका विद्यालय खोलना व क्रमोन्नत किया जाना

III - घड़साना-नाहरावाली में बालिका विद्यालय क्रमोन्नत व नया खोलने बाबत ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जो बजट दिया है ...(व्यवधान) माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं बने ...(व्यवधान) सदन के नेता को नहीं बोलने दें ...(व्यवधान) ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राजस्थान में कभी पैदा नहीं हुई। (व्यवधान) जो अराजकता की ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: और जोर से चिल्लाओ। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आन्दोलन को कुचला गया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री जगसीराम, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, न तो कानून-व्यवस्था पर बोलने का इनको हक है ...(व्यवधान) जो यह सदन चल रहा है,

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

जो यह बजट सेशन चल रहा है जिसकी बहुत उम्मीद माननीय सदस्यों को भी रहती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) कि हम हमारे क्षेत्र की समस्याएं उठायेंगे, हमारे क्षेत्र की समस्याओं पर हम वार्ता करेंगे ...(व्यवधान) बोलने नहीं दिया। हम बहुत शांतिपूर्वक इनकी बात सुन रहे थे; प्रतिपक्ष की नेता बोल रही थीं, सभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। (व्यवधान)

क्रिश्चयनगंज व गंज पुलिस थानों (अजमेर) का पुनर्गठन व नागफणी नई सड़क क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अजमेर शहर के पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज एवं गंज का पुनर्गठन करने तथा नागफणी नई सड़क क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

एक माननीय सदस्य: माफी मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): चिकित्सा राज्य मंत्री के ऊपर दो-दो आरोप ...(व्यवधान) शालीनता से जवाब दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2011-12 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2011-12 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-12 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2011-12 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): प्रतिपक्ष की नेता से ऐसे आचरण की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते ...(व्यवधान) जो उन्होंने किया और उसके बाद सदन को ठीक ढंग से नहीं चलने देना ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनके पास कुछ बोलने का नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): और उसके बाद जब सदन के नेता बोले तो सदन के नेता को बोलने से रोकना ...(व्यवधान) स्थिति है ...(व्यवधान) यह पहली बार नहीं हुआ है, चौथी बार हुआ है, सभापति महोदय। इसलिए सत्ता पक्ष यह चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने सदन के नेता को नहीं बोलने दिया, जिस तरह का उन्होंने वातावरण पैदा किया, उनको नहीं बोलने दिया, प्रतिपक्ष की नेता जब तक आकर के क्षमा याचना नहीं करें ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी नहीं मांगें तब तक यह कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): हम लोग सहयोग किसी हालत में नहीं कर सकते। (व्यवधान) आज प्रतिपक्ष के नेता को छोटी-छोटी बातों

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाडावत)

पर ...(व्यवधान) टिप्पणियां की हैं, यह क्या उचित है? (व्यवधान) सभी सदस्यों को कह दें कि मैं देख लूंगी ...(व्यवधान) तीन साल बाद चुनाव होगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, क्या वातावरण होगा ...(व्यवधान) तीन साल पहले ही भविष्यवाणियां कर रही हैं कि मैं तीन साल बाद आऊंगी, तब देख लूंगी। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सदन को चलाओ। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजस्थान की जनता की समस्याओं को यहां डिस्कस नहीं करने देना ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): विधान सभा के कर्मचारियों को भी धमकाया जा रहा है ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान) इनके प्रतिपक्ष के नेता बनने ...(व्यवधान) दुबारा आने ...(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री अमराराम।

श्री पेमाराम।

श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह। ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ये लोग सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) बोलने नहीं देना चाहते। (व्यवधान) नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है ...(व्यवधान) ये सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): वे जब तक आकर के इस बात के लिए क्षमा याचना नहीं करेंगी ...(व्यवधान) वे जब तक आकर माफी नहीं मांगेंगी तब तक सत्ता पक्ष के लोग उद्वेलित हैं ...(व्यवधान) पूरे राजस्थान की जनता उद्वेलित है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः सत्ता पक्ष के लोग ...(व्यवधान) सवाई माधोपुर में जो घटना हो रही है ...(व्यवधान) जनता माफ नहीं करेगी। क्या हालत बना कर रख दी आज राजस्थान की? (व्यवधान)

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार ।

खण्ड- 2 से 14- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 14 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 14 स्वीकार किये गये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, माफी मंगवाइये (व्यवधान)

श्री सभापतिः खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कुछ भी कहते हैं...(व्यवधान) माफी मंगवाओ पहले। (व्यवधान)

श्री सभापतिः श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): जो हर विभाग के अन्दर राहत दे दी गयी, जो गांवों के विकास का खाका पेश किया गया, यह माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हम बोलना चाहते हैं, हम विधेयक पर बोलना चाहते हैं। राजस्थान...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, हम बोलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के पचा नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। लोग कहने लगे कि चुनावी बजट है.. (व्यवधान) सभापति महोदय, जो कांग्रेस के मुखिया हैं...(व्यवधान) विपक्ष के लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी को सदन में नहीं बोलने देने की इनकी मुख्य वजह यही है कि इस तरह से बजट की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, उनसे ध्यान हटाया जाए जनता का। ये जो घोषणाएं हुई हैं बजट में गांव, गरीब और किसान के लिये, राजस्थान के अन्दर वाहवाही हो रही है। राजस्थान में वाहवाही हो रही है राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की, कांग्रेस की सरकार की। (व्यवधान) वह नहीं पचा पा रहे हैं। इस वजह से यह चाहते हैं कि सदन के अन्दर इस तरह की बात पैदा की जाए...(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि

(श्री सभापति)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव- श्री गुलाब चन्द कटारिया ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माफी मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्रीजी तैयार खड़े हैं। भ्रष्टाचार का रथ आया हुआ खड़ा है...(व्यवधान) भ्रष्टाचार के रथ में बैठने के लिये वे तैयार हैं। (व्यवधान)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 4। कोई संशोधन नहीं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पीछे वाला +++ खराब हो गया क्या आज। +++ खराब हो गया आज। (व्यवधान) ये नये-नये +++ हैं..(व्यवधान) षडयंत्रकारी हैं। इतिहास निकलवाना पड़ेगा यह जिस तरह से षड्यंत्र करते हैं.. (भारी व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नेता को नहीं बोलने देना... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह भ्रष्टाचार का रथ खड़ा है और सबका इंतजार कर रहा है...(व्यवधान)

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह राजस्थान का लोकतंत्र कभी माफ नहीं करेगा आपको, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य। आपकी जो... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ): गृह मंत्री के ऊपर करें, इससे बड़ी शर्मनाक बात और हो नहीं सकती। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपने राजस्थान के लोकतंत्र को शर्मसार किया है और जो बीमारी फैलायी है आपने कि राजस्थान के...(व्यवधान) तो जो षड्यंत्रकारी नीति है वह राजस्थान के कोने-कोने में पहुंचा दी है... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इससे लगा लिया जाए कि हर वर्ग को राहत देने वाला था। इसलिये, सभापति महोदय, यह इस तरह से धमकाने की जो आदत है, उस आदत से बाज आना चाहिये और इन्होंने जब तक...(व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों को, सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को जो धमकी दी गयी है जब तक वे आकर के क्षमा नहीं मांगें और

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

सदन के नेता को नहीं बोलने देने का जो उन्होंने एक षड्यंत्र किया है, वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। (भारी व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो ना, अपने आपको आज भी मंत्री समझ रहे हो...(व्यवधान) क्या चली गयी...(व्यवधान) इनके नापाक इरादों को समझने की जरूरत है... (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे अधिकारों का जो हनन हुआ है... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): राजस्थान की गरीब जनता की आवाज...(व्यवधान) और सदस्यों को धमकाया है...(व्यवधान)

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव- श्री अमराराम...(व्यवधान)

श्री पेमाराम...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह एक ढर्रा बना रखा है इन्होंने और इस +++ का संचालन...(व्यवधान) यह कर रहे हैं। जो माननीय सदस्य हैं, भयभीत करके रख...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी ने दी है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह सामन्तशाही रवैया है... (व्यवधान) ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं...(व्यवधान) ये प्रतिपक्ष के सदस्य हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 48। कोई संशोधन नहीं।

'प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या यह इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ क्या कह रहा है...(व्यवधान) हमको +++ बताने वालों, जरा...(व्यवधान।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): नकेल कसने वाला हो ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): खड़े हो जाओ, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनके ललित मोदी नकेल कस रहे थे ...(व्यवधान) आमेर की हवेलियां बिकीं ...(व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की नेता बोल रही थीं ...(व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 90-बी कर जमीनों को बेच दिया ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भारतीय जनता पार्टी के ...(व्यवधान) माननीय सदस्य इतने दुःखी हैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के कर्मों से ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उस पर कोई जवाब नहीं आया ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आर एस एस से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को पारित किया जाये।

जो सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जायेगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 को पारित किया जाये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो तारानगर से आने वाले ...(व्यवधान) और यह जो डीग से आने वाले +++ ...(व्यवधान) यह +++ परम्परा क्या रही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): कुत्ते को गोली किसने मारी, इस पर हंगामा और हमारे सदन के नेता को तीन-तीन बार ...(व्यवधान) विधान सभा स्थगित करनी पड़ी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ खड़ा हो जाये ...(व्यवधान) आप बोलें ...(व्यवधान) डीग से आने वाले माननीय सदस्य +++ बन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12; द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,82,23,28,000/- (बाइस अरब बयासी करोड़ तेइस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तारानगर वाला +++ ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): यह अक्षम्य है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तारानगर से और डीग से आने वाले माननीय सदस्यों, दोनों को सोचना चाहिए इस सदन में ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): इस तरह की घटना कभी नहीं हुई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामकिशोर सैनी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 17 एवं 33 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, +++ ...(व्यवधान) अब खड़े हुए हैं ...(व्यवधान) ये अवसरवादी राजनीति के प्रतीक हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ओम बिरला। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बी जे पी के जो असली लोग हैं ...(व्यवधान) इस सदन के अन्दर जिस तरह से परम्पराओं को तोड़ रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): +++ क्या परम्परा बता रहे हैं? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कीमत चुकानी पड़ेगी ...(व्यवधान)...

मांग संख्या 17-कारागार की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,70,85,000/- (पचहत्तर करोड़ सत्तर लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,48,82,56,000/- (उन्नीस अरब अड़तालीस करोड़ बयासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 33 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मांगें पारित की जायें।(व्यवधान)

मांग संख्या-16 का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस पारित की जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,82,23,28,000/- (बाइस अरब बयासी करोड़ तेइस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नो, नो। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो। (व्यवधान)

मांग संख्या 17 का पारण

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,70,85,000/-(पचहत्तर करोड़ सत्तर लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,48,82,56,000/- (उन्नीस अरब अड़तालीस करोड़ बयासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यहां भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी ...(व्यवधान) ये भागना चाहते हैं ...(व्यवधान)

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये षड्यंत्रकारी हैं ...(व्यवधान) इनका पर्दाफाश करने के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.35 बजे बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया)

एन.आर.एच.एम. के तहत नेत्र सहायकों की नियुक्ति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि नेत्र रोग हेतु पूर्व के बजट में भी नेत्र सहायकों को नियुक्तियों प्रदान किये जाने की घोषणा की गई थी लेकिन आज दिनांक तक इन पदों पर कोई नियुक्तियों नहीं दी गई हैं। एन.आर.एच.एम. के द्वारा 262 पद संविदा पर लिये जाने बाबत विज्ञप्ति जारी की गयी थी लेकिन आज तक एक भी नेत्र सहायक नहीं लिया गया। नेत्र सहायकों के आवेदन एन.आर.एच.एम. में 72 नेत्र सहायकों ने आवेदन किया था। इन 72 नेत्र सहायकों को तो नियुक्ति प्रदान कर देनी चाहिये थी?

इस बजट में नेत्र रोग, नेत्र सहायकों को नियुक्तियां दी जायेंगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक की आंखें कमजोर होने के कारण चश्मे लगाने पड़ते हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नेत्र चिकित्सा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती है जिसके कारण बच्चों की आंखें खराब होती जा रही हैं। इनके नजर के चश्मे लगायें जा रहे है। मैं मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक नेत्र सहायक की नियुक्ति प्रदान की जावे ताकि ग्रामीण बच्चों को आंखों का इलाज गांवों में ही मिल सके जिससे इनकी आंखें कमजोर न हो सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र सहायकों की नियुक्तियां करवाई जावें।

श्रीमती कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

माण्डलगढ़ में ए डी जे कोर्ट की स्थापना

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 5 पुलिस स्टेशन, 3 उपखण्ड कार्यालय, 3 तहसील कार्यालय, एक उप पुलिस अधीक्षक, 3 मुंसिफ मजिस्ट्रेट, एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज (व.ख.) आदि अधिकारी, न्यायालय तथा कार्यालय स्थित है।

मेरा क्षेत्र खनन, कृषि व बागवानी, लोह उद्योग, पत्थर निर्यात आदि व्यवसायों से जुडा हुआ है जहां विवाद होते रहते है। न्यायालयों में अत्यधिक मामले न्याय हेतु आते है।

सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा तथा मध्य प्रदेश के नीमच तथा मंदसौर जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतिम गांव रणजी का गुढा से ए.डी.जे. कोर्ट भीलवाड़ा की दूरी 130 किमी है, तथा वर्तमान में एस.डी.ओ. कोटडी में 1000 मुकदमे, एस.डी.ओं. माण्डलगढ़ में 900 मुकदमे, एस.डी.ओ. बिजोलिया में 600 मुकदमे लगभग लम्बित हैं। मुंसिफ कोर्ट माण्डलगढ में 1500, बिजोलियां में 700, मुंसिफ कोर्ट कोटड़ी में 700 मुकदमें लम्बित हैं। एडीजे कोर्ट प्रथम भीलवाड़ा में 103, एडीजे कोर्ट, द्वितीय में 195, फास्ट ट्रेक कोर्ट में 5 व एम ए सी टी कोर्ट भीलवाड़ा में 320 मुकदमे मेरे क्षेत्र के लम्बित हैं। मेरे क्षेत्र की कुल जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। गांव के गरीब लोगों को न्याय प्राप्ति हेतु 100 से 130 किमी जाना पड़ता है और शहर में आने-जाने, खाने-पीने पर अत्यधिक व्यय होता है। माननीय सभापति महोदय सन 1995 से माण्डलगढ़ में एडीजे कोर्ट खुलवाने की मांग चल रही है। कई बार अभिभाषक गण हडताल व धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा आश्वासन भी दिये गये हैं, किन्तु न्यायालय की स्थापना अभी तक नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से माण्डलगढ़ में एडीजे कोर्ट की स्थापना की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

धन्यवाद।

प्रदीप कुमार सिंह

(माण्डलगढ़)

कठूमर हस्तांतरित ग्रामों के अभिलेख की अलवर प्रशासन को सुपुर्दगी

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है

गत वर्ष ग्राम पंचायतों के समय कुछ ग्रामों का सीमांकन हुआ था जिसमें कुछ ग्राम- रिगसपुरा, रिगसपुरा का बास, दौलतपुरा, नकटपुर- सतलावा जिला दौसा से विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में लगे तथा ग्राम कारोली जिला भरतपुर से कठूमर (जिला अलवर में लगे) गये ग्राम पंचायतों चुनावों में इन ग्रामीण मतदाताओं ने कठूमर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मतदान किया। लेकिन 2 वर्ष सीमांकन को गुजर जाने के बाद भी इन ग्रामों को रेकार्ड जिला दौसा व जिला भरतपुर से अलवर जिले में नहीं आया। जिसमें प्रमुख रूप से समस्या आ रही है, शिक्षा, बिजली, जल संसाधन विभाग, राजस्व आदि विभागों में परेशानी आ रही है। विशेषकर ग्राम रिगसपुरा व रिगसपुरा का बास जहां 2500 जनसंख्या है 850 मतदाता हैं इन दोनों ग्रामों का विधान सभा व लोक सभा चुनाव में अलग से मतदान केन्द्र रहा है। यहां विद्युत विभाग इन ग्रामों का न तो विद्युतीकरण कर रहा है न कृषि कनेक्शन दे रहा है जिससे ये दोनों ग्राम अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं जबकि इन ग्रामों के आस पास बिजली जल रही है।

कृपया दौसा जिले के विद्युत अधिकारियों को निर्देश दें कि इन ग्रामों का रेकार्ड अविलम्ब अलवर जिले के अधिकारियों को सौपे ताकि यहां बिजली, पानी, शिक्षा आदि सुविधा भी यहां की जनता को मिल सके।

बाबूलाल बैरवा
(कठूमर)

विराटनगर की ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द में महानरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द में 2008-09, 2009-10 में महानरेगा में जाब कार्ड बनाने, मस्टररोल के माध्यम से फर्जी व्यक्तियों के नाम से उपस्थिति दर्ज कर, सरपंच, पदेन सचिव तथा पोस्टमेन ने मिलकर लाखों रुपये का गबन किया है गबन करने के लिए पति-पत्नि के अलग-अलग जाबकार्ड, सरकारी तथा अन्यत्र कार्यरत लोगों के जाबकार्ड एक ही परिवार के एक से अधिक जाबकार्ड, पोस्टमेन के परिवार के नाम एक से अधिक जाब कार्ड सरपंच के परिवार के नाम से एक से अधिक जाबकार्ड, एक ही नम्बर से दो-दो कार्ड, तीन तीन कार्ड, एक ही व्यक्ति के नाम दो-दो जाबकार्ड, बिना रेकार्ड के जाबकार्ड जो इश्यू ही

नहीं हुए परन्तु मस्टररोल में दर्ज है। अकाल राहत में 2002 से 2005 तक बनी कृपाल्यावाली ढाणी से ढोल्यावाली ढाणी तक भोला स्वामी की ढाणी तक पुनः सड़क स्वीकृत करवाकर राशि उठाई गयी है। एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से ज्यादा दिन कार्य दर्ज कर सरपंच एवं पंचायत के पदेन सचिव ने फर्जी तरीके से भुगतान उठाया है टी.एफ.सी. योजनाओं में सरपंच एवं पदेन सचिव ने बिना जल संग्रह टंकी बनाये 27 टंकियों का भुगतान लिया जबकि मौका पर बनी हुई नहीं है तथा कुछ बनी दिखाई वे भी पूर्व किसानों द्वारा बनायी हुई थी जिसके भी शपथ पत्र भूमि मालिकों ने स्वयं बनायी हुए के दिये हैं। इस भ्रष्टाचार का उल्लेख राजस्थान स्टेट लीग सर्विस ओथेरिटी जयपुर ने अपने छठे इश्यू के 158 पृष्ठ पर उल्लिखित किया है। इस सारे प्रकरण में जाबकार्ड बनाने, मस्ट्ररोल पर सत्यापन के हस्ताक्षर भी किये। ये सभी कृत्य कानून की दृष्टि से भी अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं सरकार इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके वसूली करे।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

पुष्कर की पेरिफेरी स्थित ग्राम पंचायतों के निवासियों को बापी पट्टे की प्रदायगी

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का पुष्कर अधिकतर पंचायत पेरा-फेरी क्षेत्र में आती है। सन 1972 से लेकर आज तक अपने पुस्तैनी आवासां में रहने वाले ग्रामीण अपने पुस्तैनी यानी बापी पट्टों से वंचित है। 1972 से अभी तक आबादी विस्तार हुआ परन्तु इन पंचायतों का आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है। जनसंख्या दो या तीन गुना हो चुकी है। पंचायत को बढती हुई आबादी को बसाने के लिए जगह देने का न तो अधिकार ग्राम पंचायत को है और प्रत्येक आवास पर ग्रामीणों के जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है। बापी पट्टों की मांग प्रशासन गांवों के संग में भी उठी थी। पेरिफेरी गांवों व ग्रामीणों की स्थिति और बहुत दयनीय है। नगर सुधार न्यास राजस्व क्षेत्र में कॉलोनियों का विस्तार कर दिया। ग्रामीण का जब पुश्तैनी पट्टें ही नहीं है तो ग्रामीण अपने पशुओं की चरागाह भूमि की मांग कैसे करें। सेटलमेंट के अनुसार पेराफेरी क्षेत्र के एक भी किसान को खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं वरन पूरे अजमेर

जिले के पेरि फेरी गांवों के ग्रामीणों को इन गांवों में रहते हुए 3-4 पीढियों हो गई है। इन ग्रामीणों को बापी पट्टे दिये जाय। आबादी विस्तार किया जाय। बापी पट्टें यू आई टी दे या पंचायत, पेरा फेरी ग्रामीणों को आवासीय पट्टे मिलना आवश्यक है।

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर मांग करती हूं कि इन ग्रामीणों की वाजिब मांग को देखते हुए बापी पट्टे देकर पेरिफेरी ग्रामीणों को राहत प्रदान करावे।

धन्यवाद।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ

(पुष्कर)

भीम ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मिलीभगत से चरागाह व बिलानाम भूमि का बेचान

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भीम के अन्तर्गत बिलानाम सरकार एवं चरागाह भूमि पर पहले भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर उस जगह पर बाड़ एवं पत्थरों की कच्ची दीवार बना दी जाती है, उसके उपरान्त भू-माफियाओं के दलाल सस्ते प्लाट का प्रलोभन देकर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच एवं उसके सहयोगियों के पास लाते हैं, वो फिर पटवारी भीम कैलाश मीणा जिसको इस कार्य के लिये अस्थाई तौर से ग्राम पंचायत लाखागुढा से भीम लगाया गया है, से गारंटी दिलाते हैं कि उक्त जमीन इन्हीं की है। और गांव का भोला भाला व्यक्ति उनकी चंगुल में फंस जाता है, एवं एक प्लाट बिना लिखा-पढी के 1.5 से 2.5 लाख तक बेच दिया जाता है। वो बेचारा गरीब उक्त प्लाट पर 5-6 लाख के लगभग खर्च कर अपना मकान बना देता है। लेकिन कभी अतिक्रमण अभियान चलता है, तो गरीब फिर अतिक्रमण की चपेट में आ जाता है। और घर से बेघर हो जाता है।

ऐसे ही प्रकरण भू-माफियाओं ने बरतू बच्चों के श्मशान घाट, कृषि उपज मण्डी के चारों तरफ, देवनारायण चरागाह भूमि खसरा नं. 3365, 3367, 3397, 3398 डाक बंगले के पीछे एसी कालोनी, धर्मेशपुरी, प्राथमिक विद्यालय के पास, इण्डिया की तलाई, एवं अन्य चरागाह एवं बिलानाम भूमि पर तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया एक दिन का नाटक कर दो-चार गरीबों के घर तोड दियें और बाकी व्यक्तियों से पैसे लेकर बोल दिया कि जे.सी.बी. फेल हो गया है, कल करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज बीस-पच्चीस दिन हो गये लेकिन कल आज तक नहीं आया है। मेरा आपके

माध्यम से निवेदन है कि सरकार तत्काल उक्त लिखित सभी जगहों के अतिक्रमणों को हटाने की व्यवस्था करावे। ऐसे ही भू-माफियों द्वारा 20-25 वर्षों पूर्व की खाते की एवं पट्टा सुदा जमीनों पर भी वर्तमान सरपंच, तहसील एवं पुलिस विभाग की मिलीभगत से रातोंरात कब्जा कर दिया जाता है, और पटवारी व नायब तहसीलदार व तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा कागज बना दियें जाते हैं। और जिससे गरीब भोलीभाली जनता इन सफेद पोस माफियाओं की शिकार हो जाती है।

ऐसा ही वाकया बरतू के खसरा आराजी नं. 11512 भू-खण्ड जिसकी रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेख रुपये 16000/- में प्रेमराज चौपड़ा पुत्र चुन्नी लाल चौपड़ा वगैरह भीम दिनांक 15/3/1989 द्वारा क्रय किया गया था जिस भूमि पर रातोंरात वर्तमान सरपंच व उसके भाई के पुत्र भगवत सिंह गोपाल सिंह ने गलत तरीके से पटवारी एवं नायब तहसीलदार, पुलिस भीम की मिलीभगत से चारदीवारी को तोड़कर कब्जा करा दिया गया। जब पुलिस में उक्त फरियादी द्वारा एफआईआर हेतु पलिस स्टेशन गया तो पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं कर भगा दिया गया। तब प्रार्थी ने एस.पी. को फोन किया जब भगवत सिंह पुत्र गोपाल सिंह जो कि विद्यार्थी मित्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय आपाती का बाडिया में सेवारत है की एफआईआर दर्ज की गई। मगर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। दर्ज होने के उपरान्त भी उक्त व्यक्ति सेवारत है।

मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि निम्नांकित उक्त तथ्यों की जांच करा कर दोषियों को दण्डित कराने की कार्यवाही करावें।

1. रजिस्ट्री में हिस्सा 10 बिस्वा कैसे बना?
2. 2 या 3 आराजी का रकबा लिखा गया लेकिन कब्जा 1 में ही क्यों?
3. आराजी का पड़ौस सड़क व आबादी से दूर बताया गया, कब्जा कहां कर रहे हैं।
4. 1000 गज से कम रजिस्ट्री आबादी रेट से की जाती है, यह रजिस्ट्री खेती से कैसे की गयी? जिसे कितना सरकार को रेवेन्यू नुकसान हुआ।
5. बेचान करने वाले के भाइयों ने पहले ही जमीन बेच दी तो उनका हिस्सा कितना बना।
6. दूसरे व्यक्तियों से जमीन व क्रेता विक्रेता का फोटो साथ में मांगा जाता है, किन्तु इस दस्तावेज में ऐसा क्यों नहीं दिया गया?

7. इसी जमीन में रेकार्ड में 016 बिस्वा आबादी हुई बतायी गई है जबकि लेखन में आबादी से दूर बताई जा रही है।
8. उक्त भूमि के पास इससे पूर्व क्रेता की कोई जमीन नहीं थी न है? न कोई आराजीयात पहले से है।

अत:, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त सभी बिन्दुओं पर जांच कराकर तत्काल सरकार एवं विभाग ऐसे अधिकारियों एवं भू-माफियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर उक्त बिलानाम सरकार एवं गोचर भूमि को मुक्त कराया जाए एवं खसरा नं. 11512 के मूल स्वामी को भूमाफियों से कब्जा हटा कर श्री प्रेम राज चौपड़ा वगेहरा को दिलाया जाए।

हरिसिंह रावत
(भीम)

जहाजपुर में अवाप्त भूमि का तर्कसंगत मुआवजा

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक तहत्व का है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 में जयपुर से झालावाड़ पोर्शन में फोरलेन निर्माण के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम कुंचलवाड़ाकलां, हनुमाननगर, टीकड एवं कुंचलवाडाखुर्द की भूमियां अवाप्त की जा रही हैं इसके साथ ही बूंदी जिले की हिण्डौली तहसील के ग्राम बासीन की भूमि भी अवाप्त की जा रही जो ग्राम टीकड़ से सटी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 पर उक्त पांचों गांव क्रमश: कुंचलवाडाकलां, हनुमाननगर, कुंचलवाड़ाखुर्द, टीकड एवं बासनी स्थित है तथा फोरलेन में अवाप्त की जाने वाली भूमियां आपस में सटी हुई है। किन्तु ग्राम कुंचलवाडाखुर्द एवं टीकड़ के एक तरफ स्थित ग्राम कुंचलवाड़ाकलां एवं हनुमाननगर के काश्तकारों को मुआवजा 347300/- प्रति बीघा से तथा दूसरी ओर स्थित बूंदी जिले के बासनी गांव के काश्तकारों को मुआवजा 375000/- प्रति बीघा की दर से स्वीकृत किया गया है जबकि इन गांवों के मध्य स्थित ग्राम कुंचलवाड़ाखुर्द एवं टीकड़ के काश्तकारों को मुआवजा मात्र 114400/- अथवा 91500/5 प्रति बीघा की दर से स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार इन काश्तकारों द्वारा सिंचाई के लिए खोदे गये कुओं के लिए भी मुआवजा की दर 60000/- निर्धारित की गई है कुआ चाहे 50 फीट गहरा हो या 200 फीट गहरा हो मूलयांकन के लिए कोई मापदण्ड नहीं किया गया है। यहां पर मैं यह

भी बताना उचित समझता हूं कि वर्तमान में महानरेगा योजना के तहत कुआ खुदवाने के लिए दर 350000/- निर्धारित की हुई है। इन मुआवजा दरों को कतई तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम कुंचलवाड़ाखुर्द एवं टीकड़ के उक्त अवाप्ति से प्रभावित काश्तकार छोटे काश्तकार है जिनकी आजीविका का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है तथा इस प्रकार उक्त भूमि का मुआवजा भी न्यूनतम दरों पर भुगतान होने पर इनके समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो जायेगा।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि ग्राम टीकड़ एवं कुंचलवाड़ाखुर्द के काश्तकारों को भी कुंचलवाड़ाकलां, हनुमाननगर एवं बून्दी जिले के ग्राम बासनी के काश्तकारों के बराबर मुआवजा राशि स्वीकृत कराने की व्यवस्था की जावे तथा कुओं के लिए निर्धारित एकमुश्त राशि 60000/- के बजाय महानरेगा योजना के तहत निर्धारित राशि स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था की जावे।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

जयपुर शहर में बेदखल फुटकर व्यापारियों का पुनर्वास

जयपुर शहर में जयपुर नगर निगम द्वारा आपरेशन परकोटा अभियान चलाकर दैनिक मजदूरी करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायियों, कुशल कारीगारों, ताला ठीक करने वालों, फूल मालायें वाले, फल सब्जी वाले, पालिश करने वाले, ठेले, खोमचे वालों को भेदभाव पूर्ण तरीकों से हटा कर गरीब लोगों को बेरोजगार कर दर-दर की ठोकर खाने पर मजदूर कर दिया। आज तक किसी का भी पुर्नवास नहीं किया गया है जयपुर नगर निगम द्वारा आपरेशन परकोटा अभियान पूरी तरह भेदभाव पूर्ण नीति अपना कर एवं बिना प्लानिंग के तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए चलाया गया है अधिकांश आमजन के लिये रास्तों, फुटपाथों पर बांधा बने हुये निर्माण को छोड़ दिया गया है।

छोटी चौपड खन्दे में 20-25 साल पूर्व की बनी हुई नक्शा पास प्याऊ को भी तोड़ दिया गया है जिससे गर्मी में आम जनता के लिये पीने के पानी की असुविधा उत्पन्न हो जायेगी। जबकि इसके आस-पास का अधिकांश अतिक्रमण छोड़ दिया गया है। आपरेशन परकोटा अभियान पूरी तरह भेदभाव पूर्ण नीति अपना कर चलाया गया है। कई स्थानों पर नक्शा पास निर्माण को तोड़ दिया गया है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त हो

गया है। इस भेदभाव में अभियान के तहत राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भी रिपोर्ट मांगी है जिसका निगम की ओर से अभी तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

मेरा स्वायत्त शासन मंत्रीजी से अनुरोध है कि आपरेशन परकोटा से हटाये गये दैनिक मजदूरी करने वाले सभी लोगों का शीघ्र से शीघ्र पुर्नवास किया जावे एवं जब तक इन लोगों का पुर्नवास नहीं किया जाता है इन लोगों को 200 रुपये प्रतिदिन पुर्नवास भत्ता दिया जावे।

मोहनलाल गुप्ता
(किशनपोल)

बीकानेर के पी बी एम चिकित्सालय से उपकरणों की चोरी

मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि बीकानेर संभाग में सबसे बडा पी.बी.एम. चिकित्सालय है इस चिकित्सालय में बीकानेर संभाग और पंजाब हरियाणा सहित देश के अनेक क्षेत्रों में अनेक रोगों से ग्रसित रोगी इलाज करवाने इस चिकित्सालय में आते हैं इस चिकित्सालय में अनेक विभाग खुले हैं जिनमें राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अलावा दानदाताओं द्वारा अनेक निर्माण कार्य करवाये जाते हैं उपकरण लगवाये जाते हैं रोगियों की सुविधा के लिए दान दाताओं द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जाते है लेकिन खेद का विषय यह है कि इस चिकित्सालय से अनेकों उपकरण एवं दवाइयों चोरी हो जाती हैं हाल में पिछले दिनों आपरेशन थियेटर से हार्मोनिक स्केल्पर मशीन चोरी हो गई जिसकी लागत करीब 17 लाख रुपये से अधिक है। मशीन चोरो होने के बाद इसकी जगह वैकल्पिक तौर पर अन्य मशीन की व्यवस्था भी नहीं की गई व चोरी की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम कहना चाहती हूं कि इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई उसने जांच भी पूरी करते हुये चिकित्सालय प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी लेकिन चोरी करने वाले का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है इस मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करवाई जावे तथा अस्पताल प्रशासन को पाबन्द किया जावे कि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो।

सुश्री सिद्धी कुमारी
(बीकानेर)

नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा मंदिर विकास कार्य राशि के दुरुपयोग की जांच

नाथद्वारा मन्दिर मण्डल द्वारा वर्तमान में मंदिर विस्तार एवं विकास योजना चलाई जा रही है। यह योजना भाजपा शासन में ही वर्ष 2004 में शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक योजना में काफी परिवर्तन कर दिया गया है और योजना में तय लक्ष्यों को समय पर नहीं पूरा किया गया है। इस कारण योजना का बजट भी कई गुणा बढ़ गया है। योजना में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपयों के घोटाले किये जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना में किये गये खर्च का एवं मंदिर मण्डल के खातों का सीएजी द्वारा आडिट हो जिससे श्रीनाथजी मंदिर (प्रभु श्रीनाथजी नाबालिग स्वरूप है) के धन का दुरुपयोग रूके और घोटालों का सच सामने आ सके।

नाथद्वारा मंदिर मण्डल राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है और सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वायत्तशासी संस्थान होकर जनरल फाइनेंस एण्ड एकाउन्ट्स रूल्स का पालन करता है। स्वायत्तशासी संस्थानों की आडिट लोकल फंड द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि नाथद्वारा मंदिर मण्डल की इस तरह की कोई आडिट नहीं होती है। नाथद्वारा मंदिर मण्डल का मुखिया राज्य सरकार का वरिष्ठ आर.एस.एस. आफिसर है तथा मंदिर की योजनाओं में आम जनता का पैसा लग रहा है। इसलिये यहां हो रहे विस्तार कार्यों में घोटालों एवं पब्लिक के धन के दुरुपयोग को देखते हुए इसकी सीएजी आडिट कराने का आदेश प्रदान करावें।

कल्याण सिंह चौहान

(नाथद्वारा)

रसद विभाग द्वारा बी पी एल एवं अन्त्योदय परिवारों से डायरी छपाई शुल्क की वसूली

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नागौर जिले में मुख्य मंत्री अनाज योजना के तहत वर्ष 2010-11 में बीपीएल व अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम नि:शुल्क गेहूं वितरित किया गया था और इस गेहूं को प्राप्त करने के लिए इन परिवारों को 12-12 पन्नों की डायरियां दी गई थीं लेकिन

अब फरवरी, 2011 में रसद विभाग के एक आदेश के अनुसार राशन डीलरों द्वारा इन परिवारों से इन डायरियों की छपाई के नाम पर 20-20 रुपये वसूल किये जा रहे हैं जो इन गरीब परिवारों के साथ अन्याय है। जबकि जिला रसद अधिकारी, नागौर के आदेश के अनुसार इन डायरियों से बीपीएल परिवारों से 10 रुपये और अन्त्योदय परिवारों से 5 रुपये लिये जाने चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्री अनाज योजना के तहत वितरित किये गये नि:शुल्क गेहूं के वितरित करने के बाद इन परिवारों से इस तरह की वसूली उचित नहीं है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर इसका अविलम्ब समाधान कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

मानसिंह

(परबतसर)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग

प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित लिखमा का बास से नाडा चारणवास, करड से बालीया का बास एवं दुधवा से काटीया बाजिया बास की हालत दयनीय ही गारन्टी समय निकाला जा रहा है। जहां अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता तक अवगत करवाने के बाद भी आज तक चलने लायक नहीं बनाई गई है। मुझे लगता है संवेदक इन अधिकारियों से उपर है। अतः इस सड़कों सम्पूर्ण रिनोवेशन करवाया जावे। ये सड़कें घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते ही निर्माण के वक्त टूट गई थीं। अतः शेरपुरा की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं राड की ढाणी को पूर्ण करवाया जावे।

अमराराम

(दांतारामगढ़)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16-मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत चामू, 54 मील जवाहर नगर में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

3. मेवात क्षेत्र में बढ़ते हुये अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये चोरगढ़ी क्षेत्र में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

4. कोटा जिले में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

5. पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती में प्रथम मौखिक इन्टरव्यू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

6. ग्राम पंचायत दूदाबेरी, नांद एवं सुरा (बाड़मेर तहसील) को पुलिस थाना रामसर से हटाकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर के अधीन करने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. ग्राम पंचायत कपूरड़ी के राजस्व ग्राम रोहिली को पुलिस थाना नागाण से हटाकर वापिस पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. ग्राम पंचायत चवा में नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

9. देवगढ़ पुलिस स्टेशन में उप निरीक्षक की जगह निरीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

10. नीमकाथाना व पाटन थाने में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. नीमकाथाना में 750 से ऊपर मुकदमों की वजह से अलग से थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. नीमकाथाना राजस्थान हरियाणा की सीमा पर होने के कारण स्पालोदड़ा व हसामपुर में मय जीप के पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

13. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बोरूंदा स्थित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

14. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की पंचायत झाखड़ाली की पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में स्थापित चौकी के लिये भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

16. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र में थाने के भवन में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

17. मु.नं. 9/11 थाना रेनवाल जिला जयपुर में अनुसूचित जाति के वृद्ध व्यक्तियों के लाइसेंसशुदा बन्दूकों को बिना लाइसेंस की बताकर आर्म्स एक्ट लगाकर पुलिस द्वारा जनता को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. खेड़ली थाना जिला अलवर में खेड़ली मण्डी में चल रहे सट्टा उद्योग व शराब की दुकानें आठ बजे बाद भी बंद नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. खेड़ली थाने में (जिला अलवर) अपराधियों को 24 घंटे बैठाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

20. खेड़ली थाना जिला अलवर के एरिया में बढ़ रही चोरियों को नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. मु.नं. 9/11 थाना रेनवाल जिला जयपुर की जांच कर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयपुर अनिल गोठवाल द्वारा लम्बी रिश्वत मांगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

22. घड़साना, रावला, अनूपगढ़ में पुलिस थानों में नये सुलभ काम्पलैक्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. पुलिस थाना घड़साना में एस.एच.ओ. का आवास गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. पुलिस थाना घड़साना, अनूपगढ़ में पुलिस कर्मियों के निवास हेतु मकान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रिक्त पड़े पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

26. विधान सभा क्षेत्र बायतू के नवोडावेरी में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बायतू की ग्राम पंचायत मुख्यालय चवा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र बायतू के पुलिस थाना गीडा में नया वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

29. श्री गुलाब सिंह मीना, एस.एच.ओ. नादौती, जिला करौली ने एफआईआर संख्या 15/10 दिनांक 10.2.10 एवं एफआईआर संख्या 285 दिनांक 10.12.10 में नामजद अभियुक्तों की घर जाकर जमानत लेकर अन्वेषण को सभी प्रकार से प्रभावित करके तत्कालीन एस.एच.ओ. एवं वर्तमान एस.एच.ओ. द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

30. अजमेर के अलवर गेट थाना को नगरा क्षेत्र में एवं रामगंज थाना अन्तर्गत ब्यावर रोड पर एच.एम.टी. से सोमलपुर गांव जाने वाले मार्ग पर नई पुलिस चौकियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. रामगंज थाना क्षेत्र में लम्बे समय से बनाई जाने वाली अवैध कच्ची शराब को नहीं रोक पाने के कारण रामगंज थाने में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. अजमेर आदर्श नगर थाना अन्तर्गत आदर्श नगर पुलिस चौकी नवीन भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. अजमेर में क्रिश्चिन गंज एवं गंज थानों की सीमाओं को तार्किक बनाने एवं सागर रोड पर स्थित आनासागर पुलिस चौकी को गंज थाने के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. अजमेर के अव्यवस्थित यातायात को व्यवस्थिति करने हेतु यातायात निरीक्षक का एक अन्य कार्यालय स्वीकृत कर नवीन पदों का सृजन करने एवं पूर्व से रिक्त चले आ रहे सिपाहियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

35. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में बामणोर में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगागनर) :

36. प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. लालगढ़ पुलिस द्वारा श्रीगंगागनर जेल में बदी की पिटाई करने पर मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में खुलेआम हो रही डकैती व अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में कमजोर पुलिस बीट सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

40. श्रीगंगानगर जिले में प्रतिदिन बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

41. चौमूं कस्बे की बढ़ती आबादी को मध्यनजर रखते हुये कस्बे में कोतवाली थाना स्थापित करने एवं चौमूं थाने की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. चौमूं तहसील के सामोद पहाड़ी पर स्थित हनुमानजी के मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिये स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

43. राज्य में प्रथम बार मैरिट के आधार पर सिपाहियों की हो रही भर्ती में गरीबों के बच्चों की भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

44. हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में हुये चक-राजासर हत्याकाण्ड को न सुलझाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

45. राज्य में बढ़ते हुये संगीन अपराध को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

46. विधान सभा क्षेत्र चौरासी जिला डूंगरपुर में सिपाहियों के लिये सरकारी आवास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के सीमलवाड़ा में पुलिस चौकी का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर-पश्चिम) :

48. बीकानेर क्षेत्र की मुरलीधर कालोनी को गंगाशहर थाने के स्थान पर नया शहर थाने के अन्तर्गत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. यातायात कन्ट्रोल के लिये ट्रेफिक पुलिस की नफरी में सी.आई., एस.आई., ए.एस.आई, एवं हैड कान्सिटेबल की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. गोपाल जोशी)

50. बीकानेर में थानों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. बीकानेर ''बी'' श्रेणी का शहर होने पर उसके अनुसार पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) :

52. अजमेर के क्रिश्चयनगंज थाने के क्षेत्र का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. अजमेर जिले में गत 2 वर्षों से बढ़ रहे चेन स्नेचिंग, शादी समारोह से लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस व्यवस्था चुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

54. विधान सभा क्षेत्र शिव के पिछडे जिलों में सिपाही की भर्ती में योग्यता 8वीं पास रखी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

55. जैसलमेर जिले में हो रही चोरियों की वारदातों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

56. पुलिस के गिरते स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

57. पिछले दो वर्षों में राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अपराध होने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. राज्य में पुलिस बल को आधुनिक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. पुलिस बल के गिरते मनोबल के संबंध में चर्चा के लिये।

60. बांसवाड़ा जिले के छींच गांव में दो मासूम बच्चों की, की गई नृशंस हत्या के संबंध में चर्चा के लिये।

61. पिछले बजट वर्ष 2009-10, 2010-11 में पुलिस भर्ती के बारे में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

62. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

63. धौलपुर में महिला पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

64. अलवर जिले में अपराधों में हो रही बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये ज्यादा पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. अलवर जिले में आपराधिक वारदातों को देखते हुये पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. अलवर जिले में ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र होने से पुलिस कर्मचारी व होमगार्ड जवानों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

67. सी.आर. नं. 144/2006 थाना कोतवाली सीकर, सी.आर. नं. 19/2001 थाना जसवन्तगढ़ व सी.आर. नं. 114/06 थाना डीडवाना में नामजद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. पुलिस थाना नागौर में चोरी के वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के दर्ज मुकदमों में परिवहन कार्यालय के दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को बचाने की मंशा से जांच के नाम पर लीपापोती व प्रकरण को लम्बित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

69. पुलिस विभाग को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

70. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थाना सामोद, गोविन्दगढ़ व कालाडेरा में 5-5 महिला पुलिस कर्मी पदस्थापित करने व थानों में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. पुलिस उप अधीक्षक गोविन्दगढ़ (चौमूं) के कार्यालय हेतु नये भवन निर्माण की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

72. थाना चौमूं में होमगार्ड की संख्या 50 तक तथा महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री करण सिंह (छबड़ा) :

73. छिपाबड़ौद तहसील में सारबल कस्बा में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

74. रायपुर, कारोई थानों में नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. पुलिस थाना कारोई, गंगापुर में चारदीवारी बनाने एवं उसकी ऊंचाई बढ़ाने एवं थाना हमीरगढ़ में पेयजल व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. पोटला पुलिस चौकी एवं गंगापुर पुलिस चौकी के लिये आबंटन भूमि पर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांव कोशीफल में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

78. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में सर्किल आफिस स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) :

79. कोटा शहर की बोरखेडा पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

80. सम्पूर्ण राज्य में पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में जिला स्तर पर साइबर थानों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. श्रीगंगानगर जिले में अपराधों की रोकथाम में नाकाम पुलिस विभाग में सुधार एवं उनका सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री दौलतराज समेजा)

84. समस्त राज्य में पुलिस विभाग के वाहनों का बीमा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर) :

85. बीकानेर शहर में हो रही चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

86. बसेड़ी उपखण्ड के डांग क्षेत्र में स्थित नादनपुर में चौकी को थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. धौलपुर जिले में पुलिस विभाग के पुराने वाहनों की जगह नये वाहन देने व पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. दस्यु प्रभावित क्षेत्र बसेड़ी में ए.डी.एफ. की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेंक के अधिकारी को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. पुलिस जवानों व आर.ए.सी. जवानों को दिये जाने वाले वर्दी, मैस, वर्दी धुलाई व यात्रा भत्ता को बढ़ाने तथा अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. धौलपुर जिले में दलित अपराधों का शीघ्र निस्तारण करने व दोषी अधिकारी एवं अपराधियों को सजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

91. जयपुर में बढ़ते चोरी, लूट, हत्या, महिलाओं की चैन तोड़ने जैसी घटनाओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. राज्य में आर.आई.एस.एफ. के गठन की घोषणा किये जाने के उपरान्त अब तक गठन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह सहित प्रमुख आइकान बिल्डिंगों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

94. राज्य के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कानून व्यवस्था व अनुसंधान के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप अलग-अलग पुलिस दल गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. थानेदारों की मिलीभगत से बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिये ठोस कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

96. होमगार्ड का दैनिक भत्ता एवं वेतन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

97. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पुलिस थाना नेछवा को सीआई थाने में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में वृताधिकारी पुलिस कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

99. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में रटलाई, हरीगढ़ अथवा पनवाड़ में नया पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

100. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत मुख्यालय अजीत व खण्डप में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विभिन्न थानों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पुलिस थना सिवाना का पुनः सीमांकन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

104. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम खूंडा, सिंगनपुर आदि में पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र करौली में नये पुलिस थाने एवं चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

106. पुलिस बल में सभी स्थानों पर 20 प्रतिशत Leave Reserve के पद बढ़ाये जाकर इस अनुपात को ध्यान में रखकर ही पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधायकों को उनकी मांग के अनुसार सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. राजस्थान के दस्यु प्रभावित क्षेत्र तथा पूर्व राजस्थान के सभी जिलों में संगठित अपराध तथा दुर्दान्त अपराधियों पर नियंत्रण तथा सतर्कता के लिये पुलिस वाहन, दूरसंचार उपकरण आवश्यक हैलमेट, सुरक्षा जैकेट तथा स्वचालित हथियार तथा मनोबल बढ़ाने हेतु नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

109. जैसलमेर जिले में बढ़ती हुई विद्युत के तार एवं विद्युत ट्रांसफार्मरों की चोरियों पर अंकुश नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. नहरी क्षेत्र में नई पुलिस चौकियां सृजित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

111. राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड कर्मियों से नियमित ड्यूटी लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. राज्य में गत वर्षों से बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस को आधुनिक उपकरण/हथियार व प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. नावां शहर में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

115. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों की बड़ी संख्या में हो रही चोरी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. अलवर जिले में पुलिस संरक्षण में हो रहे अवैध खनन, नकली डीजल/पैट्रोल की बिक्री नकली मावा और अवैध शराब के कारोबार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामहेत सिंह)

117. अलवर जिले में हो रही बड़ी मात्रा में गौतस्करी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम जौडिया, बीबीरानी व मोठूका में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ-बास में उप तहसील हरसौली में नया पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

120. पुलिस थाना बामनवास एवं बौली में पीने के पानी व अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

121. पिछले कई वर्षों से एक ही थाना क्षेत्र में कार्यरत भ्रष्ट व अपराधियों, गुण्डातत्वों के सहयोगी पुलिस कर्मियों को जनता व विधायकों की शिकायत के उपरान्त थाना मालवीय नगर व पुलिस चौकी खो-नागौरियान से हटाकर पुलिस लाइन में नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. पुलिस चौकी खो-नागौरियान (थाना मालवीय नगर, जयपुर) व कानोता थाना क्षेत्र में लगने वाले बगरू विधान सभा क्षेत्र की कालोनियों, पुरानी आबादी क्षेत्र को नजदीकी थाना ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़े जाने तथा पुलिस चौकी खो-नागौरियान को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

123. विधान सभा क्षेत्र रेवदर, आबूरोड में चोरी, लूट के बढ़ते अपराधों की वारदातों की रोकथाम करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. रेवदर तहसील में रायपुर व आबूरोड तहसील में जामुडी में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

125. विधान सभा क्षेत्र वैर में हत्या, लूट, बलात्कार एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

126. विधान सभा क्षेत्र वैर में रसूख वाले व्यक्तियों के दबाव में गरीब लोगों की रपट दर्ज न करने पर मजबूरी में इस्तगासा कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र वैर में पुलिस द्वारा की जा रही अवैध वसूली को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र वैर में बढ़ रही चोरियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

129. मकराना पुलिस थाना में अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. मकराना क्षेत्र में ट्रेफिक पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

131. थाना मालवीय नगर, जयपुर की पुलिस चौकी खौ-नागौरियान क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों, गुण्डागर्दी नित्य प्रति डीजे जैसे ध्वनि यंत्र बजाने, स्कूल भवन की छत पर गुण्डातत्व छात्रों से उत्पात मचाने जैसे शांतिभंग के कृत्यों पर परिवाद दायर होने पर माननीय विधायकों द्वारा जनहित में कार्यवाही की मांग के उपरान्त 107/116 व 122 में प्रभावी पुलिस कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

132. जैसलमेर जिले में बढते अपराधों को देखते हुए जिले में नयी पुलिस चौकियां व नये थाने बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

133. राज्य में नरेगा या अन्य योजना में ग्राम पंचायतों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में अपराधियों की तुरन्त गिरफ्तारी कर दर्ज मुकदमों का दस रोज में अनुसंधान पूरा करवाने एवं सीकर जिले की गिसरावट चौकी का स्वयं का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पेमाराम)

134. थानों में एस.सी./एस.टी. के एस.एच.ओ. को आरक्षण के अनुपात में थानों में लगाने व आर.ए.सी. के जवानों की वेतन विसंगतियों को दुरुस्त करने एवं अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस ढांचे को दुरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

135. प्रदेश में कृषि ट्रांसफार्मर की चोरी के मामले दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. कमिश्नर प्रणाली जयपुर में लागू होने तथा सी.ओ. शाहपुरा का क्षेत्राधिकार बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. ए.डी.एस.पी. कोटपूतली कार्यालय का क्षेत्र जमवारामगढ़ बदलकर शाहपुरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर का अधिकांश क्षेत्र सी.ओ. शाहपुरा में आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. विराटनगर थाना को सी.ओ. शाहपुरा के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

140. सूरसागर क्षेत्र के सभी पुलिस थानों एवं चौकियों के भवनों की मरम्मत, भवन-विस्तार एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली को आधी-अधूरी तैयारियों से लागू करने से उपजी परिस्थितियों में सुधार हेतु कमिश्नर कार्यालय के भवन हेतु भदवासियों रोड के एस.एस.बी. परिसर की संभावना तलाशने एवं नीचे से ऊपर तक नव पद सृजन तथा पदस्थापन सहित प्रणाली के आवश्यक सभी संसाधनों की तीव्रता से संस्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में महिला थाना, नये पुलिस थाना, पुलिस चौकियों एवं दुर्घटना थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. जोधपुर में फैल रहे संगठित अपराधों की रोकथाम के लिये अविलम्बनीय कार्य योजना निर्माण कर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

144. जोधपुर जैसे शांत शहर में सामान्य अपराधियों के पास स्टेनगन, माउजर, पिस्तौल, देशी कट्टा जैसे हथियारों की पहुंच और उन्हें पुलिस पर ही तानने, पुलिस पर अपराधियों द्वारा हमले करने, चैन स्नेचिंग, बैग छीनने, घरों में सोती महिलाओं के पहने हुये गहने लूटने, घात लगाकर राहगीरों से रुपये लूटने, नकबजनी, कई आवासीय कालोनियों में तो ताला लगाते ही चोरी की गारंटी बनने से हालात जैसे अपराधों की नियमित एवं निरन्तर पुनरावृत्ति से आम जन जीवन में व्याप्त भय को दूर करने के लिये आवश्यक कार्य-योजना बनाकर उसका क्रियान्वन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

145. अजमेर जिले में जैन मंदिरों में हुई चोरियों के अपराधियों को अब तक न पकड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. शहर में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों व लगातार बढ़ रही उनकी संख्या के संबंध में चर्चा के लिये।

147. क्रिश्चयनगंज थाने के बड़े क्षेत्र तथा गंज थाने के क्षेत्र के पुन: निर्धारण तथा शहर में ट्रेफिक व्यवस्था सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

148. पंचायत समिति जवाजा के अतितमन्द में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. ग्राम पंचायत सेन्दड़ा (पाली) में नीलकन्ठ महादेव स्थान के पास पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

150. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम हरसौर की पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. डेगाना में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

152. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोत्साहन एवं मानदेय देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दरलाल)

153. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पुलिस चौकी मंडेला को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र पिलानी एवं सूरजगढ़ में वर्ष 2009 एवं 2010 में भैंसों की अत्यधिक चोरियों को रोकने के लिये विशेष दल गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पुलिस को शुत्र एजेन्टों एवं छापाधारियों को पकड़ने में सहायता देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के सभी पुलिस थानों को नये वाहन उपलब्ध कराने एवं पुराने वाहनों को अविलम्ब दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

157. एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी उचित कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

159. खाटू थाने को अपग्रेड करने एवं दांतारामगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. थानों में डीजल एवं पैट्रोल का बजट बढ़ाने पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने एवं थानों में जवानों हेतु सरकारी आवासों का निर्माण करने तथा दांतारामगढ़ थाने में क्वाटर्स का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. पुलिस अधिकारियों के घरों एवं सेवानिवृत्ति अधिकारियों के घरों पर जवानों की सेवा लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

162. पुलिस प्रशासन एवं अपराधियों की मिलीभगत को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा सिविल वर्दी में रात्रि गश्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. पुलिस थानों में आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

165. अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस बल बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

166. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित विभिन्न थानों में स्टाफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

167. जमवारामगढ़ में सी.ओ. कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. जयपुर जिले में नये पुलिस थाने एवं चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रामसर मंदिर से मूर्तियां चोरी करने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

170. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्राम पई, धार, चणावदा, गोवर्धन विलास में पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्राम पंचायत जावर, बारा को पुलिस थाना ऋषभदेव के स्थान पर थाना गोवर्धन विलास, उदयपुर में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के थानों में रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नये पुलिस थाने एवं चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. उदयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

175. भीलवाड़ा जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा अपराध करने से पुलिस थानों में दस से अधिक प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद इतिहास पंजिका नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर किये जा रहे अत्याचार पर कठोर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवजीराम मीणा)

177. प्रदेश के पुलिस थानों में हिरासत के दौरान हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. प्रदेश के सभी पुलिस थानों को नये वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. पुलिस विभाग द्वारा प्रचारित "अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास" के विपरीत कार्यशैली होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां) :

180. कामां में पुलिस उत्पीड़न के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) :

181. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में बड़े अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में नई चौकियां एवं थानों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में थानों में पदस्थापित कर्मियों को समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) के थानों में रिक्त पद भरने एवं वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) :

186. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा, (डूंगरपुर) के औबरी परिक्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

188. जिला डूंगरपुर में रामसागड़ा में थाना खुलवाने एवं सावली में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

189. जयपुर शहर में रात्रि में पुलिस गश्त की माकूल व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. जयपुर शहर में हो रही दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. जयपुर शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोक पाने में विभाग की विफलता व अपराधियों को पकड़े जाने पर भी माल बरामदगी की प्रतिशतता कम होने एवं शहर में लूटमार एवं चैन खींचने की घटनाओं में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. जयपुर शहर में पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार देने, थानों में नये वाहन उपलब्ध करवाने एवं आबादी के अनुपात में नवीन थाने खोले जाने व जीर्ण-शीर्ण थानों के लिये नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. जयपुर शहर के थाने यथा मालवीय नगर, महेश नगर में नफरी बढ़ाये जाने एवं थानों में दर्ज मुकदमों की संख्या के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करने की प्रतिशतता कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

194. राज्य के विभिन्न थानों में लापता लोगों का शीघ्र पता लगाने के लिये विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये रिक्त पड़े समस्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं नये पद सृजित करके पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. कोटा जिले में हाइवे थाना, कोचिंग विद्यार्थियों के लिये विशेष सेल एवं ट्रेफिक प्लान के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. आर.ए.पी.पी. रावतभाटा में परमाणु संयंत्र में विकिरण संबंधी दुर्घटनाओं की स्थिति में संभावित खतरों से निपटने के लिये एक विशेष पुलिस बल का गठन करके उसे उक्त प्रकार के खतरों से निपटने हेतु प्रशिक्षण व अतिआधुनिक उपकरण प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ओम बिरला)

198. कोटा संभाग में भवनविहीन विभिन्न थानों व पुलिस चौकियों के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मलखान सिंह (लूणी) :

199. ग्राम गुडा विश्नाईया में पुलिस चौकी की स्थापना करने एवं बोरानाडा में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

200. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के ग्राम नूरे की भूर्ज, रिण क्षेत्र, खीचन एवं बामणू में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. पुलिस थाना भोजासर को प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यालय आऊ में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

202. ग्राम पंचायत मुख्यालय दुदवा में पुलिस चौकी सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

203. नदबई क्षेत्र में अपराधिक तत्वों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र नदबई में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

205. राज्य में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

206. कमिशनर प्रणाली के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी/कर्मचारी/कानिस्टेबल की ड्यूटी का समय निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. पुलिस अधिकारियों को फिट रखे जाने के लिये इनका मेडिकल चैकअप कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. जयपुर में लागू की गई कमिश्नरर प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात को देखते हुये अतिरिक्त आर.ए.सी. लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

210. न्यायालय में अपराध प्रमाणित होने पर ही अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

211. मुकदमा नं. 78/10 थाना सुजानगढ़ में आरोपी सीताराम के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में बदले गये अनुसंधान अधिकारी के संबंध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के अन्तर्गत पुलिस थानों में 01 जनवरी, 2010 से अब तक दर्ज मुकदमें एवं अन्य पंजीकृत शिकायतों के संबंध में चर्चा के लिये।

213. बीकानेर संभाग में पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी कार्य विवरण एवं लाग बुक भरने की प्राप्त शिकायतों के संबंध में चर्चा के लिये।

214. जयपुर व जोधपुर शहरों में पुलिस कमिशनरी प्रणाली एवं पूर्व प्रणाली के अधिकारों में समानताओं एवं असमानताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

215. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम बधाल में स्थित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में महिला थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये थाने एवं पुलिस चौकियां स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

219. आईजी रेंज-II (जयपुर) से पृथक कर अलवर मुख्यालय पर रेंज कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. पुलिस थानों के तहत बीट अधिकारियों के लिये मोटर साइकिल आदि की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की पुलिस चौकी गढीसवाइराम का भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

222. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में निरीक्षक स्तर के थानों में उप निरीक्षकों को पदस्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. भरतपुर जिले में विगत दो वर्षों में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में ऊंचानगला पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पदस्थापित ऐसे पुलिस अधिकारियों जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितता की विभागीय जांच विचाराधीन है, को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. भरतपुर जिले में निरन्तर बढ़ते जा रहे वाहन चोरी के अपराधों पर अंकुश/रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

227. पचपदरा में पुलिस थाना के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. बालोतरा थाना भवन का विस्तार व आवासीय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. बालोतरा थाने में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. बालोतरा में ट्रेफिक पुलिस के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

231. प्रतापगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट परिसर, अस्पताल परिसर, ग्राम जाखम, आराम पुरा एवं खूंटा आदि में नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. प्रतापगढ़ जिले के सभी पुलिस थानों में चल रहे पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन देने तथा सीमावर्ती थानों को मोटर साइकिल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों के सीमावर्ती थानों को आधुनिक सुविधाएं देकर जाप्ता बढ़ाने तथा दोहरी नवीनतम वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

234. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र को अतुनियां थाने के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

235. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बाटोदा चौकी को थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

236. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में सांजू उप तहसील मुख्यालय पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. डेगाना विधान सभा क्षेत्र में हरसौर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

238. डेगाना में उप अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

239. पुलिस चौकी पोल्याड़ा, नासिरदा, ककोड़, पचाला तथा सरोली मोड़ (टोंक) में पदस्थापित पुलिस कर्मियों के लिये आवास निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में सरकारी अनदेखी पर चर्चा के लिये।

240. सहायक निरीक्षक स्तर की पुलिस चौकी नासिरदा (टोंक) क्षेत्र की विशिष्ठ भौगोलिक अवस्थिति होतें हुये भी इसे उप निरीक्षक स्तर की चौकी में क्रमोन्नत करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

241. राज्य में कानून व्यवस्था जान माल की हिफाजत के लिये सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. राज्य में पुलिस अधिकारियों को जिन्दा जला देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

243. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन की करवर चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

244. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के गांव अकबरपुर व बहादुरपुर चौकी को पुलिस थाना बनाने तथा जिला मुख्यालय के लिये नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड-जंक्शन) :

245. पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली में हर्ज फुलिया की महिला एवं चिरपटिया के मेघवाल के मर्डर का राज नहीं खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

246. पुलिस थानों में सिपाहियों की कमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली में दर्ज मुकदमा नाबालिग कविता पुत्री रामलाल के मर्डर में सबूत नष्ट करने, उम्र में काट छांट करने एवं रजिस्टर में हेराफेरी करके 2 वर्ष के सूरजपाल को स्कूल जाने के ठोस सबूतों के बाद भी नाबालिग बताकर जमानत देने के षडयंत्र कारियों को मुलजिम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

248. पुलिस महकमे के लोगों को व्यवहारिक बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

249. जोधपुर में पुलिस आयुक्त कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद बढ़ते अपराधों से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

250. पुलिस थाना सिरीयारी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के भोजावास गांव में मेघवाल समाज पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

251. खण्डेला व रींगस थानों में हुई चोरियों का सामान बरामद नहीं करने व चोरी का पता नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

252. खण्डेला शहर में पुलिस थाना पुराने थाने की जगह में खोलने व गोविन्दपुरा पंचायत में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. कोटा जिले में थाना चेचट में महिला कांस्टेबल की हत्या व बलात्कार में पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा कांस्टेबल देसराज (कानी-ड्राईवर) को झूंठा फंसाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

254. राजस्थान में कुल जनसंख्या के हिसाब से पुलिस के सिपाही व ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

255. राजस्थान के थानों में पुलिस नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. प्रदेश की जेलों में जेल प्रशासन व सुरक्षा कर्मचारियों की मिली-भगत से कैदियों के पास मोबाइल फोन, मोबाइल सिमें, जिन्दा कारतूस, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री के उपयोग किये जाने को रोक जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

2. कारागारों में मोबाइल व अपत्तिजनक सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

3. कोटा जिले के कारागारों की व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

4. बाड़मेर जिले की कारागृह में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

5. प्रदेश के कारागृहों में व्याप्त अपराधिक गतिविधियां व स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

6. भीम कारागार को नन्दावर उप खण्ड कार्यालय में जमीन आबंटित कर नया कारागार बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

7. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की बिलाड़ा उपकारागृह का पुनः शीघ्रतातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

8. अनूपगढ़ का कारागार शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

9. प्रदेश के कारागृहों में कैदियों को शुद्ध भोजन सामग्री, पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. श्रीगंगानगर जिले के समस्त कारागृहों में जनरेटर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

11. अजमेर जिले में बंद आजीवन कैद की सजा भुगत रहे अपराधियों को माननीय न्यायालय के इन्कार के पश्चात भी पैरोल पर छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. राज्य के कारागारों में मोबाइल फोनों की रोकथाम के लिये जैमर लगाने व प्रहरियों को आधुनिकतम उपकरण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. अजमेर के केन्द्रीय कारागार में सजा काट रहे कैदियों के चारित्रिक एवं मानसिक विकास हेतु नियमित कार्यक्रमों का संचालन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. राज्य के कारागारों में सुरक्षा प्रहरियों की कमी को पूरा करने के लिये नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. अजमेर के केन्द्रीय कारागार में बंदियों से मोबाइल की बरामदगी में बढ़ोत्तरी, प्रहरियों की मिलीभगत एवं जेल में बंद अपराधियों द्वारा धमकियां एवं चौथवसूली की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

16. चूरू केन्द्रीय कारागार में अपराधियों द्वारा जेल कर्मी की पिटाई होने पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

17. राज्य के जेलों में लगातार मिल रहे अवैध मोबाइल व अन्य उपकरणों के नियंत्रण हेतु जैमर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

18. जेलों में बढ़ते अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

19. राजस्थान की विभिन्न जेलों में समय-समय पर छानबीन से अवैध हथियार, मोबाइल, ड्रग्स का कारोबार बखूबी सम्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. पुलिस विभाग के कर्मचारी एवं जेल कर्मचारी के वेतन एक समान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. जेल के अन्दर रहते हुए अपराधी अपराधों को कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये सफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. जेलों में अपराधियों की संख्या अधिक होने एवं मांग के अनुरूप कर्मचारियों/अधिकारियों की उपलब्धता नहीं होने के काण जेलों के अपराधियों की शरणस्थली बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. कारागृह में अपराधियों द्वारा नये आने वाले विचाराधीन कैदियों को डरा धमकाकर उनके परिवारजनों से जबरन वसूली का कृत्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

24. धौलपुर कारागृह में बेहतर भोजन एवं बेहतर लिविंग कंडीशन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

25. अलवर जिले में जिला कारागार व उप कारागारों के भवन निर्माण, कैदियों के बिस्तर, पीने व नहाने का पानी एवं कैदियों को खाना, पानी स्वच्छ नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

26. प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये चर्चा के लिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) :

27. कोटा के जिला कारागार को अभेडा के पास स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

28. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ कारागृह में जेल के बाहर स्थापित चाय की दुकानों के माध्यम से जेलकर्मियों में व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. राज्य की जेलों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की कारागृहों में नशीली दवाइयों की सप्लाई की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

31. श्रीगंगानगर जिले की कारागृहों में बंदियों से मिलने वाले परिवारजनों से पर्ची के लिये रुपये वसूल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. जिला कारागृह श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में कैदियों को जेल में बढ़िया खाना नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

33. राज्य में कैदियों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के संबंध में चर्चा के लिये।

34. श्रीगंगानगर जिले में रिक्त पदों पर जेल कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

35. रायसिंहनगर जेल का नवीन भवन स्वीकृत कर निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्री विजयनगर कस्बे में जेल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेडी) :

37. जेलों में मोबाइल फोनों की रोकथाम के लिये जैमर लगाने व जेल प्रहरियों को आधुनिक उपकरण व हथियार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. कारागारों के प्रहरियों को पुलिस के समान वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं दिये जाने एवं प्रहरियों व स्टाफ को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. धौलपुर जिला कारागार को सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक उपकरणों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. संगीन अपराधों में सजायाफ्ता कैदियों एवं खूंखार डकैत, अपराधियों को अलग विशेष कारागार में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

41. राज्य के कारागृहों में कैदियों द्वारा प्रतिबन्धित सामग्री जैसे मोबाइल तथा अन्य खाने-पीने की चीजों पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

42. राजस्थान की जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. राज्य की जेलों में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षा प्रहरी की कमियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य की जेलों की सुरक्षा के लिये तैनात प्रहरियों को अत्याधुनिक हथियार के साथ तैनाती एवं हथियार चलाने के लिये समय-समय पर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. राज्य की जेलों में गम्भीर रोगों से पीड़ित एवं अधिक आयु वाले सजायाफ्ता कैदियों के अच्छे व्यवहार/आचरण पर सजा में कमी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. राज्य की जेलों में बंदियों से मारपीट व आमनवीय बर्ताव किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

47. सोजत सिटी के कारागार के आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

48. झालावाड जिला कारागृह को नये भवन में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

49. राज्य की जेलों में कैदियों से आपत्तिजनक सामग्री पाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

50. राज्य की जेलों में आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा के लिये अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. कैदियों की आपराधिक प्रवृत्ति को बदलने के लिये जेलों में विभिन्न

(श्री महेन्द्र चौधरी)

धर्मों के उपदेशकों के प्रवचन शिविर आयोजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. प्रदेश की जेलों में स्टाफ की वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

53. जेलों में बढ़ रहे कैदियों के अनुपात में जेल स्टाफ की बढोत्तरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के उपकारागृह में क्षमता से अधिक कैदी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के उपकारागृह में मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने व परिजन मुलाकत में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. कैदियों को कारागार से न्यायालय तक लाने व ले जाने के लिये उचित जाप्ता व पर्याप्त साधन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

57. कैदियों के लिये सुरक्षा, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. कारागारों पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. कारागारों पर सरकार की ढुलमुल व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावशाली व्यक्तियों को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

60. बंदियो की तुलना में सुरक्षा प्रहरियों की संख्या बढ़ाने, जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं मोबाइल नशीले पदार्थ आदि की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. खूंखार बंदियों पर निगरानी बढ़ाने व सजायाफ्ता खूंखार अपराधियों की पैरोल पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

62. कारागारों में स्थानाभाव की शिकायत मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. कारागार विभाग में पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

64. कारागारों में खतरनाक कैदियों को विशेष सुविधाएं एवं सामान्य नियम तोड़कर सुविधा देने की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश की जेलों में प्रतिबन्धित सामान जैसे मोबाइल आदि मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. राजस्थान के कारागारों में दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

67. केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में जेलर की हत्या के बावजूद जेल से ही आपराधिक गैंगों के संचालन में जेल स्टाफ एवं उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. केन्द्रीय कारागार जोधपुर में कैदियों के मन:स्तर का उन्नयन करने हेतु बौद्धिक विकास कर उन्हें आपराधिक मनोवृत्तियों से विगलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. कारागार व्यवस्था सुधार हेतु राज्य स्तरीय समिति की अनुशंषाओं के अनुरूप केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में आधुनिकीकरण, सुरक्षा उपाय, भवन मरम्मत-विस्तार कार्य एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में कैदियों द्वारा आपसी शोषण और गैंग संचालन पर प्रभावी रोक हेतु गम्भीर अपराधों के सजायाफ्ता कैदी, विचाराधीन कैदी, घरेलू मामलों यथा घरेलू हिंसा-दहेज मामलों आदि के कैदी, छोटे एवं प्रथम अपराधों के कैदी, एवं आदतन अपराधियों सभी के लिये अलग-अलग परिसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश के सभी कारागारों में मिल रही अवांछित सामग्री और कारागारों से गैंग संचालन की अनेक घटनाओं के मद्देनजर सघन छापामारी अभियान चलाने एवं लिप्त दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

72. राज्य की जेलों से कैदियों के फरार होने की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. राज्य में खुली जेल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. दांतारामगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर सब जेल का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

75. प्रदेश की जेलों में बन्द आदतन अपराधियों द्वारा सेलफोन के माध्यम से अपराध कारित करवाने को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. अजमेर जिले की जेलों में बढ़ोत्तरी कैदियों के मध्यनजर केकड़ी में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

77. कारागृहों में पुलिस बल बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. कारागार में कैदियों के लिये भोजन, आवास व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. अपराधियों को सुधारने के लिये अध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर) :

80. उदयपुर जिले के कारागारों में रिक्त पड़े पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. केन्द्रीय कारागार उदयपुर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) :

82. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) के कारागारों के पदस्थापित कार्मिकों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में कारागारों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

84. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) के कारागारों की जर्जर अवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

85. केन्द्रीय कारागार जयपुर को वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. प्रदेश में जेलों से अपराधियों के फरार होने की घटनाएं बढ़ने एवं सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर छोड़े जाने एवं पैरोल पर छूटे कैदियों की पैरोल अवधि समाप्त होने पर भी वापस नहीं लौटने की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चर्चा के लिये।

87. केन्द्रीय कारागार जयपुर में प्रहरियों की नफरी बढ़ाने एवं जेल प्रहरियों को पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन श्रृंखला दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. केन्द्रीय कारागार जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर में बंदियों के पास मोबाइल एवं नशीले पदार्थ पाये जाने पर विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

89. केन्द्रीय कारागार जयपुर से बंदियों द्वारा चलाये जा रहे संगठित अपराध गिरोहों की रोकथाम में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

90. कोटा जेल में बंदियों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. कोटा स्थित खुली जेल की क्षमता बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राज्य के कारागारों में बंदियों द्वारा जेल से संचालित की जाने वाली विभिन्न अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु जैमर व वीडियो कैमरा से निगरानी की कार्य योजनायें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. राज्य के कारागारों में बंदियों को पर्याप्त व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राज्य में जेल कर्मियों के रिक्त पड़े हुये पदों को भरने व नई नियुक्तियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

95. फलौदी कारागार में जन भागीदारी हेतु सलाहकार समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. फलौदी के नवनिर्मित कारागार का लोकार्पण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

97. राज्य की विभिन्न जेलों में कार्यरत कार्मिकों की नई भर्तियों के संबंध में चर्चा के लिये।

98. राज्य में पैरोल पर छोड़े जाने वाले कैदियों के गायब होने के कारण नियमों में संशोधन करने के संबंध में।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

99. खूखार कैदी व सामान्य कैदियों को अलग-अलग सुरिक्षत माहौल में रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. जेल सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते वर्तमान परिपेक्ष्य में संख्या बल बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. कैदियों के चाल चलन में सुधार पाये जाने पर सजा में छूट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

102. भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित कारागार में अपराधियों को अवैध रूप से दी जा रही मोबाइल फोन, शराब, सिगरेट एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. भरतपुर कारागार में कैदियों को घटिया क्वालिटी का खाना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

104. विधान सभा क्षेत्र के लाखेरी उपखण्ड में उप कारागार कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

105. राज्य में नये जेल भवन निर्माण एवं पुरानी जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. जयपुर केन्द्रीय कारागार में सुरक्षा उपाय सुदृढ़ करने व हत्या, डकैती

(श्री गोपाल मीणा)

व आतंकवादी घटनाओं के आरोपी कैदियों के लिये पृथक से बंदीगृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राज्य में जेलों में कैदियों से अवांछित सामान मोबाइल, सिम आदि की बरामदगी के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

108. अलवर जिला कारागृह में रंगीन टेलीविजन लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

109. जेलों में कैदियों के पास मोबाइल एवं टाइम बम पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. राजस्थान की जेलों में से अपराधियों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पूरा अपराध तंत्र संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. जेलों में कैदियों की क्षमता से अधिक कैदी रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. कैदियों को दिये जाने वाले खाने की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

113. जेलों में कैदियों द्वारा मोबाइल का प्रयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

114. जोधपुर जेल में जेलर के पद पर कार्यरत स्व. श्री भारतभूषण भट्ट को खुलेआम जेल के अन्दर ही चाकू से वार कर मौत की नींद सुला देने के पश्चात भी जेल में 3 जी सिम व मोबाइल के मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

115. मारवाड जंक्शन में जेल के लिये जगह आरक्षित कर जेल भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

116. बढ़ते हुये अपराधों की वजह से जेलों के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाये-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विकलांग, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन योजना में सरलीकरण, पालनहार योजना हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

2. दहेज प्रताड़ित महिला को पुन:स्थापित किये जाने व उनको सुरक्षा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

3. कोटा जिले में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

4. ग्राम नाथडाऊ व शेरगढ़ में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

5. विधान सभा क्षेत्र भीम में एन.जी.ओ. के मार्फत विकलांग एवं नि:शक्तजनों हेतु मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्थापित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

6. विधवा महिला को दी जाने वाली पेंशन के राइडर को हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. 65 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाएं एवं पुरुषों को पेंशन दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

8. अन्त्योदय परिवारों को बी.पी.एल. परिवार के समान सारी सुविधाएं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

9. अनुसूचित जाति छात्रावास खेड़ली जिला अलवर में अनुसूचित जाति के दो रसोइया हटा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

10. वृद्धावस्था पेंशन में समस्त 60 वर्ष के ऊपर वृद्धाओं को एवं समस्त विधवाओं को पेंशन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

11. बायतू मुख्यालय पर बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. सणपा (सिणधरी) में पूर्व संचालित छात्रावास को पुनः संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. बायतू स्थित छात्रावास में सीटों की बढ़ोत्तरी करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

14. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु चलायी जाने वाली सहयोग योजना के तहत दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)

15. विधवा वृहद एवं विकलांगों की पेंशन हेतु वयस्क पुत्र होने संबंधी शर्त को विलोपित किये जाने तथा पेंशन नियमों में पात्रता के लिये नियमों का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. अनुसूचित जाति के पढ़ने वाले छात्रों हेतु बनाये गये अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास, नारीशाला रोड अजमेर के भवन में नये कक्षा के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. राज्य में पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वृद्धावस्था पेंशनर्स को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. अजमेर शहर में मुख्य मार्गों पर बसे गाड़ियां लुहारों को नि:शुल्क भूमि एवं भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

19. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में समाज कल्याण के छात्र व छात्राओं के छात्रावासों में सीटें बढ़ाये जाने तथा इन्हें पृथक-पृथक करने एवं छात्रावासों के अधीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

20. नि:शक्त बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति व रोजगार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने हेतु सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. राज्य में संचालित होने वाले छात्रावास में पूर्ण सुविधाएं देने एवं अधिकांश छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. आवासीय विद्यालयों के छात्रों का परीक्षा परिणाम सामान्य विद्यालयों से निम्न स्तर का होने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. देवनारायण योजना के अनुसार बोर्ड का गठन न करने और न ही धन का पूर्ण उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

25. विधवाओं, विकलांगों एवं वृद्धाओं को बिना शर्त के पेंशन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

26. अलवर जिले में गरीब महिलाओं व विकलांग व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के लिये नई योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. अलवर जिले में विकलांग, विधवा, तलाकशुदा महिला एवं वृद्ध लोगों का सर्वे करवाकर असहाय गरीबों की तुरन्त पेंशन चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

28. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

29. हरियाणा प्रदेश की भांति बिना शर्त बुजुर्गों को पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विधवा एवं विकलांग को बिना शर्त पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा) :

31. राजस्थान में विधवा महिला को दी जाने वाली पेंशन के लिये पुत्र की आयु सीमा व जमीन की लगाई गई शर्त को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

32. समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने एवं छात्रावास में कम्प्यूटर रूम स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

33. राज्य के बालिका गृहों में बच्चियों को बाहर भेजने एवं किशोरियों के साथ ज्यादतियां करने वालों पर रोक लगाने एवं कठोर दण्ड दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. राज्य के शिशु एवं बालिका गृह में रह रहे मानसिक रूप से बीमार बच्चों को पोष्टिक पोषाहार एवं अच्छे वातावरण में रखने एवं नियमित चिकित्सकीय जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने एवं छात्रवृत्तियां देने में की जाने वाली जालसाजी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

36. राज्य में प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल स्तर पर समाज कल्याण विभाग के नवीन छात्रावास स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

37. जिला पाली में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

38. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

39. अनुसूचित जाति, जनजाति के अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की औपचारिकता से मुक्ति दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

40. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्रशासन गांवों के संग अभियान में स्वीकृत पेंशनरों को शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. ए.पी.एल. नि:शक्त जनों के पेंशन नियमों में शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय अम्बेडकर छात्रावास समदड़ी व मोकलसर में स्वीकृत सीटों में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों को बजट समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

44. करौली जिले में व्याप्त डकैतों की समस्या का निदान करने एवं समाज को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) :

45. वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

46. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बन्द पड़ी सामाजिक कल्याणकारी योजना को सुचारू ढंग से चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेडी) :

47. धौलपुर जिले में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांगों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सुखराम)

48. धौलपुर जिले के बाल मजदूरों में लगे बालकों को मुक्त कराकर उनके पुनर्वास हेतु उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के आवेदनों की अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के समान सरल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में रह रहे छात्र/छात्राओं को समुचित सुरक्षा आहार एवं आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

51. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सभी विकलांग, वृद्ध व विधवाओं को पेंशन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

52. ग्राम कोड़याई में माडल आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

53. विकलांग पेंशन हेतु दी गई शर्तों में शिथिलता/छूट देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

54. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना पर प्रत्येक गांव में अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति, विधवा को पेंशन के साथ रोजगार समूह बनाकर देने एवं वृद्धों को पेंशन उनकी आर्थिक स्थिति पर दिलवाने व पालनहार योजना पूरे प्रदेश में चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

55. नि:शक्तजनों एवं विकलांगों के लिये बिना कोई शर्तों के पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मिलने वाली शैक्षणिक छात्रवृत्ति के संबंध में अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

57. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को बुनियादी रोजगार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

58. अन्य पिछडा वर्ग की सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये देवनारायण बोर्ड का दायरा सभी जिलों में न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

61. प्रदेश भर में विभागीय छात्रावासों के संचालन की विसंगतियों को दूर करने हेतु छात्रावास भवन सुधार-विस्तार, छात्रावासों को देय भत्तों एवं सुविधाओं की दरों का वर्तमान महंगाई के अनुरूप पुनर्निर्धारण एवं उक्त सभी छात्रावासों के नियमित एवं निरन्तर निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्तमान बजट में घोषित नि:शक्तजनों निदेशालय एवं राजस्थान पुनर्वास संस्थान की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में विभागीय योजनाओं के यथार्थ लाभ हेतु आवेदन के बाद सप्ताह भर में जांच कर भुगतान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित कर वर्ष पर्यन्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश स्तर पर संरक्षण विहीन उपेक्षित बच्चों, अपचारी बच्चों को असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने से बचाने के लिये अन्य विभागों के साथ समन्वय कर अभियान चलाकर उन्हें स्थानीय संप्रेक्षण एवं किशोर/बाल सुधार गृहों में भेजने एवं समेकित बाल संरक्षण योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 125 से अधिक कच्ची बस्तियों के मद्देनजर विभागीय छात्रावास खोलने, विभागीय योजनाओं का लाभ

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये क्षेत्रीय कच्ची बस्तियों एवं एस.सी./एस.टी. क्षेत्रों में पाक्षिक शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

66. जिला करौली में बीना मेमोरियल पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र पड़ेवा में वर्ष 2009-10 की रूकी हुई छात्रवृत्तियां तुरन्त दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

67. 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले सभी विकलांगों को पेंशन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खाटू एवं राणोली शिशु में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. वृद्धावस्था पेंशन सभी 60 वर्ष के व्यक्तियों को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. राज्य में एस.सी. एवं एस.टी. के व्यक्तियों के साथ अत्याचार होने पर देय राशि समय पर वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. राज्य के विद्यार्थियों को विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में पड़ने एवं ट्रनिंग करने वाले एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक बच्चों को माहवार स्कालरशिप देने हेतु संस्था प्रधानों को बजट दिये जाने व पिछले वर्ष एवं इस वर्ष की बकाया छात्रवृत्ति का तुरन्त भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

72. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बांकरा एवं अमरवासी में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी के वर्ष 2008-09 के बी.एड. छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति की राशियों का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

75. राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत स्टेट बी.पी.एल. को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का विलम्ब से भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

77. वृद्धावस्था पेंशन पड़ोसी राज्य हरियाणा की भांति राजस्थान में लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

78. प्रदेश में एस.सी. एवं एस.टी. विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में गबन/घोटाला किये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. समाज कल्याण छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिये भोजन की राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. जयपुर के बालिका सदन में बालिका के साथ दुष्कर्म प्रकरण में बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. जयपुर में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. जयपुर में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये महिला छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

83. राज्य में चल रही विश्वास योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से समाज के विकलांगों, पिछड़े वर्गों को स्वालंबन व स्वरोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. राज्य में बी.पी.एल. पुत्री व विधवा पुत्री विवाह हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाने व उन्हें तय समयावधि में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. राज्य में सामाजिक सुरक्षा की चल रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध व नियमित रूप से अनुदान राशि उपलब्ध कराये जाने व प्राप्त प्रकरणों को नीयत समयावधि में पूर्ण करने के लिये

(श्री ओम बिरला)

अधिकारियों को जवाबदेही निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. राज्य में विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था के पात्र पेंशन धारियों को पेंशन राशि बढ़ाये जाने व उनको तुरन्त व नियमित पेंशन दिये जाने के लिये समयबद्ध कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. राज्य में पिछड़ा वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

88. निशक्तजनों को ट्रांसाइकिल एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिये।

89. विधवा बहिनों की लडकी के विवाह पर दी जाने वाली अनुदान राशि का समय पर भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यकों को अध्ययन हेतु नियमानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर करने हेतु चर्चा के लिये।

91. समाज कल्याण छात्रावासों में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

92. विधान सभा क्षेत्र नावां के कुकनवाली एवं चितावा में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. पंचायत समिति स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. नावां शहर में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

95. राज्य के कई जिलों में घोषित सम्बल ग्रामों के मानदण्ड एवं सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

96. राज्य के एपीएल, बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह गेहूं एवं आवश्यक वस्तुएं आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

97. वर्ष 2010-11 में नेत्रहीन विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि की पुस्तकों के वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

98. समाज की महिला व छात्राओं के साथ छेडछाड़ की घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को देखते हुये स्कूल/कालेजों/कार्यालयों के बाहर सादा वर्दी में सुरक्षाकर्मी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. समाज के कमजोर तबकों के लोगों पर आये दिन होने वाली दमनात्मक कार्यवाही पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

100. कल्याणपुर में छात्रावास खोलने, बालोतरा में कन्या छात्रावास खोलने व बालोतरा में लड़कों के छात्रावास में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

101. राज्य में बच्चों के लिये बने किशोर गृह व सम्प्रेक्षण गृह की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

102. राज्य में एस.सी./एस.टी. पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम एवं लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. एस.सी./एस.टी. के छात्रों को पढ़ाई के दौरान हर वर्ष छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हो रहे अनावश्यक आर्थिक भार से मुक्ति पर चर्चा के लिये।

104. जमवारामगढ़ में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु नये छात्रावास निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) :

105. उप तहसील बहादरपुर व मालाखेड़ा में लड़के एवं लड़कियों के लिये छात्रावास बनाने तथा जिला मुख्यालय पर एस.सी. छात्राओं के लिये छात्रावास बनाने के लिये चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

106. समाज में व्याप्त भय का समाधान सामाजिक सुरक्षा से ही सम्भव होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

107. मूक बधिर विद्यालय भंदवालिया को 100 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

108. प्रशासन गांवों के संग अभियान में चयन किये गये सरकारी सहायता के पात्र लोगों को लाभान्वित करने पर चर्चा के लिये।

109. वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

110. जयपुर स्थित राजकीय बालिका सुधार गृह में हो रही बालिकाओं के साथ ज्यादती तथा दोषी अधिकारियों को सजा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

111. ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुये अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लोगों को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

112. देवनारायण योजना के तहत नावां-कुचामन क्षेत्र में गुजरों, गाड़ियां लुहारों की ढाणी के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

113. अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों का विकास करने एवं मदरसों को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

114. अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने एवं समाज के विकास के लिये सामाजिक छात्रावास बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

115. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना में लगे राइडर को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।